



पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2016-2017

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

अगस्त, August, 2016

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2016-2017.

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2016-2017.

वर्ष 2016-17 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 51 अनुदान मांगें तथा 1 विनियोग है। ₹1,03,013.74 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹20,948.26 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹82,064.80 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपये के साथ ₹68 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2016-17 includes 51 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹1,03,013.74 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹20,948.26 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹82,064.80 crore. Besides, token provision of ₹68 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
(क) निम्न लिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) कृषोन्नति योजना - राज्य आयोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.54 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक आयोजना (₹0.96 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.48 करोड़) कृषोन्नति योजना - केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तंत्रीयकरण उप-मिशन के अंतर्गत (iii) कार्यालय खर्च (₹25.85 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.50 करोड़) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत कृषि विस्तार उप-मिशन के तहत किसान प्रकोष्ठ केंद्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए (iv) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (₹500 करोड़) और 2. कृषि कल्याण कोष को अंतरण (₹500 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General to National Mission on Sustainable Agriculture under Krishonnati Yajna-State Plan (₹5 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹4.54 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹0.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹0.48 crore) under Sub-mission on Agricultural Mechanization under Krishonnati Yojna-Central Sector (iii) Office Expenses (₹25.85 crore) and Professional Services (₹0.50 crore) under Sub-mission on Agriculture Extension under Krishonnati Yojana - Central Sector (iv) Transfer to Krishi Kalyan Kosh (₹500 crore) (v) expenditure under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (₹500 crore) .	500.00	-	500.00
(ख) निम्न लिखित के लिए (i) कृषि कल्याण कोष को अंतरण (₹200 करोड़) (ii) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण गोदामों का निर्माण (₹200 करोड़)।	(b) For (i) transfer to Krishi Kalyan Kosh (₹200 crore) and (ii) construction of rural godowns under Integrated Scheme on Agricultural Marketing towards Grants in-aid General (₹200 crore).	200.00	-	200.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
3 पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
निम्न लिखित के लिए (i) डेयरी उद्यमी विकास स्कीम के अंतर्गत किसानों द्वारा सब्सिडी दावे की वचनबद्ध देनदारियां (₹100 करोड़) (ii) राष्ट्रीय डेयरी आयोजना पर व्यय (₹36 करोड़)।	For meeting (i) committed liabilities of subsidy claims by farmers under Dairy Entrepreneurs Development Scheme (₹100 crore) (ii) expenditure on National Dairy Plan (EAP) (₹36 crore)	100.00	-	100.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने के लिए	For providing additional capital infusion in India Post Payments Bank	150.00	-	150.00
14 दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को ₹1000 करोड़ की राशि अंतरित करने के लिए तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न टेलीकॉम सेवाओं के लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को यूएसओएफ से ₹1000 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करना।	(a) For transferring an amount of ₹1000 crore to Universal Service Obligation Fund (USOF) and providing an amount of ₹1000 crore as compensation from USOF to telecom service providers for various telecom services in the rural and remote areas.	1,000.00	-	1,000.00
(ख) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on Optical Fibre Cable (OFC) based network for Defence Services.	500.00	-	500.00
15 इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	15 Department of Electronics and Information Technology			
(क) निम्न लिखित के स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करने हेतु (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (₹30 करोड़) केंद्रीय सरकारी भुगतान पोर्टल हेतु ₹10 करोड़ सहित और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹150 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards establishment related expenses of (i) National Informatics Centre (₹30 crore) including ₹10 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹150 crore).	180.00	-	180.00
(ख) निम्न लिखित का व्यय करने हेतु (i) नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो की स्थापना करना और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मौजूदा स्टूडियो का उन्नयन, एनआईसीएनआईटी सेवाएं, जिला केंद्र, साइबर सुरक्षा उपकरण और डेटा सेंटर (₹70 करोड़) केंद्रीय सरकारी भुगतान पोर्टल हेतु ₹5 करोड़ सहित और (ii) नए आईटी हार्डवेयर की अधिप्राप्ति और यूआईडीएआई मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु भुगतान (₹40 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) setting up of new video conferencing studios and upgradation of existing studios, NICNET services, District Centres, Cyber security equipment and Data Centres of National Informatics Centre (₹70 crore) including ₹5 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) procurement of new IT Hardware and payment for construction of UIDAI HQ building (₹40 crore)	110.00	-	110.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
(क) दालों के आयात पर सब्सिडी की बकाया राशि के भुगतान के लिए।	(a) For payment of arrears of subsidy on import of pulses.	-	80.00	80.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) (i) दाल और प्याज जैसी अन्य वस्तुओं की बढ़ी मात्रा में खरीद के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (₹500 करोड़) और (ii) केंद्रीय आयोजना के तहत प्रावधान अंतरित करना (₹24.77 करोड़)।	(b) For (i) meeting additional requirement towards Price Stabilization Fund for procurement of enhanced quantity of pulses and other commodities like onion (₹500 crore) and (ii) effecting transfer of provision under Cental Plan (₹24.77 crore).	500.00	-	500.00
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
निम्न लिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अपरिष्कृत चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सेवाओं और विपणन पर प्रोत्साहन स्कीम (₹11.57 करोड़) (ii) नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर का कार्यालय व्यय (₹1.10 करोड़) और लघु निर्माण कार्य (₹1.05 करोड़) (iii) केन्द्रीय आयोजना के तहत प्रावधान का अंतरण (₹2500 करोड़) (iv) हिंदुस्तान वैजिटेबल ऑयल कारपोरेशन की उन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (₹27.56 करोड़)।	For meeting additional expenditure of (i) the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" (₹11.57 crore) (ii) National Sugar Institute, Kanpur towards Office Expenses (₹1.10 crore) and Minor Works (₹1.05 crore) (iii) transfer of provision under Central Plan (₹2500 crore) (iv) towards improved Voluntary Retirement Scheme of Hindustan Vegetable Oil Corporation (₹27.56 crore).	-	27.56	27.56
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	Ministry OF CORPORATE AFFAIRS			
18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
(क) व्यावसाय करना सहज बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय पंजीकरण केंद्र की स्थापना (₹4 करोड़) और डिजिटल इंडिया स्कीम (₹5 करोड़) के लिए आईटी पेशेवरों आदि को नियोजित किया।	(a) Setting up of Central Registration Centre for Promoting 'Ease of Doing Business' (₹4 crore) and engagement of IT Professionals etc for Digital India Program (₹5 crore).	-	9.00	9.00
(ख) 1. निम्न लिखित का स्थापना संबंधी व्यय (i) भारतीय शोधन अक्षमता दिवालियापन बोर्ड (₹10 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और एनएफआर (₹5 करोड़) 2. ईडब्ल्यूएस परियोजना के लिए लाइसेंस की अधिप्राप्ति और सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर आदि की खरीद (₹1.85 करोड़)।	(b) For 1. establishment related expenditure of (i) Insolvency Bankruptcy Board of India (₹10 crore) and (ii) National Financial Reporting Authority (NFRA) and National Financial Reporting Appellate Authority (NFRAA) (₹5 crore) 2. procurement of licenses and purchase of software/hardware etc. for the EWS project (₹1.85 crore).	-	16.85	16.85
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28 विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs			
(i) विशेष आर्थिक पैकेज एमआरपीएल-एसटीसी संविदा हेतु व्यवहार्यता अन्तराल निधि, सिविल सेवा संस्थान आदि के लिए मारीशस को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता को पूरी करने के लिए और द्वीप अवसंरचना और अन्य परियोजनाओं को तैयार करने के लिए सेशेल्स को सहायता (₹500.00 करोड़)। (ii) चाबाहर पत्तन (₹100.00 करोड़) के विकास के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए।	For (i) meeting additional requirement for aid to Mauritius for a Special Economic Package, Viability gap funding for MRPL - STC Contract, Civil Services Institute, etc. and to Seychelles for development of Island infrastructure and other projects (₹500 crore) (ii) providing additional funds for development of Chabahar Port (₹100 crore).	-	600.00	600.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(i) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) की स्थापना में अंशदान (₹60 करोड़)। (ii) विशेष आहरण अधिकारों के प्रशासनार्थ आईएमएफ को देय आकलन प्रभार (₹0.71 करोड़)।	For (i) contribution to set up South Asia Regional Training and Technical Assistance Centre (SARTTAC) (₹60 crore) (ii) assessment charges payable to IMF towards Administration of Special Drawing Rights (₹0.71 crore).	-	60.00	60.00
32 राज्यों को अंतरण	32 Transfers to States			
(क) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत ओला, बेमौसम वर्षा, सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।	(a) Additional assistance to States affected by Natural Calamities like Hailstorm, Unseasonal rain, etc. under National Disaster Response Fund (NDRF).	-	2,000.00	2,000.00
(ख) राज्यों को आवश्यकता के आधार पर विशेष सहायता के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना।	(b) Additional fund for need based Special Assistance to States.	2,000.00	-	2,000.00
(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम।	(c) Loans and advances to State Governments for Externally Aided Projects.	3,000.00	-	3,000.00
34 व्यय विभाग	34 Department of Expenditure			
सरकारी वित्त प्रबंधन प्रणाली के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure for the project Public Finance Management System.	50.00	-	50.00
37 राजस्व विभाग	37 Department of Revenue			
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट के लिए भुगतान।	Payment against International arbitration award.	-	38.00	38.00
38 प्रत्यक्ष कर	38 Direct Taxes			
आय प्रकटीकरण स्कीम 2016 और विवाद समाधान स्कीम 2016 का विज्ञापन और प्रचार।	For advertisement and publicity of Income Disclosure Scheme, 2016 and Disputes Resolution Scheme, 2016.	-	100.00	100.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	42 Department of Health and Family Welfare			
स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹328.35 करोड़), (ii) गैर संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹442.78 करोड़), (iii) एनआरएचएम आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सहित पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभावजनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹454.44), (iv) राज्य दवा विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (180 करोड़)। 2. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन-नर्सिंग सेवाओं का उन्नयन/सुदृढीकरण (₹100 करोड़) (ii) नए चिकित्सा कॉलेजों को स्थापित करना (जिला अस्पतालों का उन्नयन) (₹400 करोड़) (iii) राज्यों में पारा चिकित्सा राज्य संस्थाओं की स्थापना और पारा चिकित्सा शिक्षा कॉलेज की स्थापना (₹50 करोड़)।	For 1. Grants-in-aid General under the Schemes (i) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹328.35 crore), (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹442.78 crore), (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹454.44 crore) and (iv) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹180 Cr), 2. Grants for creation of Capital Assets under the Scheme:- (i) Human Resources for Health & Medical Education-Upgradation/Strengthening of Nursing Services (ANM/GNM) (₹100 crore). (ii) Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹400 crore)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	and (iii) Setting up of State Institutions of Para-medical Sciences in States and Setting up of Colleges of Paramedical Education (₹50 Crore).	400.00	-	400.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48 पुलिस	48 Police			
आसूचना ब्यूरो के गुप्त सेवा खर्च का व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure towards Secret Service Expenses of Intelligence Bureau	-	25.00	25.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
52 उच्चतर शिक्षा विभाग	52 Department of Higher Education			
(क) अनुदान संबंधी व्यय के लिए (₹330.81 करोड़) और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत पेशेवर सेवाओं के लिए (₹10 करोड़)।	(a) For Grants related expenditure (₹330.81 crore) and Professional Services under Technical Education (₹10 crore) in North Eastern Areas.	90.00	-	90.00
(ख) अनुदान संबंधी व्यय (₹11 करोड़) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रभार के लिए (₹0.90 करोड़)।	(b) For Grants related expenditure (₹11 crore) and Other Charges (₹0.90 crore) towards NER.	10.00	-	10.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
66 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	66 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
विजाग, मंगलोर और पुदुर में सॉवरन स्ट्रेटेजिक कच्चा तेल भंडार के निर्माण के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. को निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing funds to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for Sovereign Strategic Crude Oil Reserve at Vizag, Mangalore & Pudur.	1,000.00	-	1000.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
75 ग्रामीण विकास विभाग	75 Department of Rural Development			
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड में अंतरण के लिए	For transfer to National Employment Guarantee Fund.	5,000.00	-	5000.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
84 अंतरिक्ष विभाग	84 Department of Space			
उन्नत संचार सैटेलाइट (जीएसएटी-11) के लांच के लिए मैसर्स एरियन स्पेस, फ्रांस को (₹300 करोड़) का भुगतान और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के अतिरिक्त व्यय (₹3.80 करोड़) को पूरा करने के लिए जीएसएलवी एमके-III के सीई 20 इंजन के लिए कॉर्बन- नोजल एक्जिट कॉन (सी-सी एनइसी) को तैयार करने के लिए मशीनरी और उपस्कर हेतु।	For payment to M/s. Arianespace, France for launch of Advance Communication Satellite (GSAT-11) (₹300 crore) and meeting the additional expenditure (₹3.80 crore) of Vikram Sarabhai Space Centre towards Machinery and Equipment for development of Carbon-Carbon Nozzle Exit Cone (C-C NEC) for CE20 Engine of GSLV Mk-III.	300.00	-	300.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
87 वस्त्र मंत्रालय	87 Ministry of Textiles			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) संशोधित	(a) For meeting additional expenditure on			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम के लिए सब्सिडी हेतु (₹350 करोड़) और (ii) एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम के लिए (₹1.50 करोड़)।	(i) subsidies towards amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUF) (₹350 crore) and (ii) Scheme for Integrated Textile Parks (₹1.50 crore)	350.00	-	350.00
(ख) भारतीय कपास निगम की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement for reimbursement of Cotton Corporation of India.	-	200.00	200.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
94 लक्षद्वीप	94 Lakshadweep			
क्षतिपूर्ति हेतु कोर्ट के आदेश से उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure arising out of Court Order towards land compensation.	17.00	-	17.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय	95 Ministry of Urban Development			
(क) (i) भारत अवसंरचना निधि में अंतरण (₹314 करोड़) का खर्च पूरा करने के लिए। और (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹16 करोड़) अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए, स्वच्छ भारत मिशन हेतु आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (₹4.32 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (ii) transfer to Bharat Infrastructure Kosh (₹314 crore), (ii) Grants-in-aid General (₹16 crore) for other Urban Development Schemes and Grants for Creation of Capital Assets (₹4.32 crore) for Swachh Bharat Mission.	314.00	-	314.00
(ख) निम्न लिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अतिरिक्त कार्यालय कांप्लेक्स का निर्माण (₹100 करोड़) (ii) संसद सौध के विस्तार के निर्माण संबंधी निर्माण पर (₹20 करोड़)।	(b) For meeting expenditure for (i) construction of additional office complex for Supreme Court of India (₹100 crore) (ii) works relating to construction of extension of Parliament House Annexe (₹20 crore).	-	120.00	120.00
(ग) (i) फरीदाबाद गलियारे का काम पूरा करने के लिए डीएमआरसी-उप ऋण (₹184 करोड़); (ii) पीटीए का खर्च न किया गया शेष पूरा करने के लिए डीएमआरसी-पीटीए (₹1316 करोड़); (iii) जेआईसीए निधियन वाले पैकेजों के भुगतान हेतु चैन्नई मेट्रो-पीटीए (₹370 करोड़); (iv) एफटीपी-2015-16 के तहत डीमड एक्सपोर्ट बनेफिट के आहरण के कारण चैन्नई मेट्रो उप-ऋण (₹130 करोड़)।	(c) For meeting expenditure for (i) DMRC-Sub-Debt to complete the work of Faridabad Corridor (₹184 crore) (ii) DMRC-PTA to meet the unspent balance of PTA (₹1316 crore) (iii) Chennai Metro-PTA to make the payment of JICA funded packages (₹370 crore) and (iv) Chennai Metro-Sub-Debt due to withdrawal of deemed export benefit under FTP 2015-16 (₹130 crore).	1,686.00	-	1686.00
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
98 युवा कार्य और खेल मंत्रालय	98 Ministry of Youth Affairs and Sports			
राष्ट्रीय खेल परिसंघ को निम्न कार्यक्रमों के लिए सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान: (i) मिशन 11 मिलियन (30 करोड़) (ii) 17 फीफा वर्ल्डकप फुटबॉल टूर्नामेंट (₹95 करोड़) (iii) ब्रिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट (₹20	Grants for creation of Capital Assets under the scheme Assistance to National Sports Federations for the following Programmes: (i) Mission 11 Million (₹30 crore), (ii) Under 17 FIFA World Cup Football Tournament			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
---	--	----------------	--------------------------	---------------

करोड़) (iv) गोवा में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन (₹69.85 करोड़)।

(₹95 crore), (iii) BRICS Football Tournament (₹20 crore) and (iv) Conduct of 36th National Games in Goa (₹69.85 crore).

214.85 - 214.85

कुल नकद व्यय

Total Cash Outgo

17,671.85 3,276.41 20,948.26

3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 82,064.80 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग के लिए प्रस्ताव शामिल हैं जो अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की तदनु रूप बचत के समतुल्य हैं। मदें इस प्रकार हैं:

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹82,064.80 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

अनुदान के लिए तकनीकी पूरक मांगें

Technical Supplementary Demands for grants

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

(क) (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के लिए सामान्य अनुदान प्रदान करना (₹5 करोड़)। (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹4.54 करोड़) अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹0.96 करोड़) कृषोन्नति आयोजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना (₹0.48 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (iii) कृषोन्नति आयोजना के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 'कार्यालयी व्यय' (₹25.85 करोड़) और 'पेशेवर सेवाएं' (₹0.50 करोड़)। (iv) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत व्यय (₹500.00 करोड़) और 2. कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹500.00 करोड़)।

(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General towards National Mission on Sustainable Agriculture under Krishonnati Yajna-State Plan (₹5 crore) (ii) Grants-in-aid General (₹4.54 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹0.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹0.48 crore) under Sub-mission on Agricultural Mechanization under Krishonnati Yojna-Central Sector (iii) Office Expenses (₹25.85 crore) and Profession Services (₹0.50 crore) for implementation of Kisan Cell Centers Programme under Sub-mission on Agriculture Extension under Krishonnati Yojana (iv) Transfer to Krishi Kalyan Kosh (₹500 crore) (v) expenditure under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (₹500 crore).

500.00 - 500.00

(ख) (i) कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹200.00 करोड़) (ii) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत ग्रामीण गोदामों का निर्माण (₹200.00 करोड़)।

(b) For (i) transfer to Krishi Kalya Kosh (₹200 crore) (ii) construction of rural godowns under Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹200 crore).

200.00 - 200.00

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

11 वाणिज्य विभाग

11 Department of Commerce

कोर्ट के आदेश से उत्पन्न होने वाले भुगतान के लिए डीजीएस एंड डी को मंजूर की गई आकस्मिकता अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है।

For recoupment of Contingency Advance sanctioned to DGS&D for payment arising out of Court Orders.

- 2.72 2.72

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) कॉपीराइट डिवीजन और बौद्धिक संपदा अधिकार की योजना को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के तहत प्रावधानों की वृद्धि के लिए।	(a) For augmentation of provisions under North Eastern Areas towards the scheme Promotion of Copyright Division and IPR.	0.50	-	0.50
(ख) कॉपीराइट संवर्धन और आईपीआर स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (₹3.96 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत (₹0.04 करोड़) व्यय पूरा करना।	(b) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid General (₹3.96 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.04 crore) under the schemes Promotion of Copyright and IPR.	4.00	-	4.00
(ग) (i) कॉपीराइट बोर्ड (₹4.30 करोड़) और (ii) कॉपीराइट कार्यालय (₹2.35 करोड़) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए	(c) For meeting the expenditure under (i) Copyright Board (₹4.30 crore) and (ii) Copyright Office (₹2.35 crore).	-	6.65	6.65
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14 दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के लिए ₹1000 करोड़ की राशि अंतरित करने और यूएसओएफ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से मुआवजे के रूप में ₹1000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने के लिए।	(a) For transferring an amount of ₹1000 crore to Universal Service Obligation Fund (USOF) and providing an amount of ₹1000 crore as compensation from USOF to telecom service providers.	1,000.00	-	1,000.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम।	(a) Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet the working capital requirements towards procurement of food grains for targeted Public Distribution System.	-	40,000.00	40,000.00
(ख) शर्करा विकास कोष के लिए अंतर खाता अंतरण के संबंध में राजस्व भाग से पूंजी भाग को व्यय के पुनर्वर्गीकरण के लिए।	(b) For reclassification of expenditure from Revenue Section to Capital Section in respect of Inter Account Transfer to Sugar Development Fund.	-	550.00	550.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	Ministry OF CORPORATE AFFAIRS			
18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
अंतरखाता अंतरण के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के जरिए दावाकर्ताओं को न चुकाई गई/अदावाकृत राशि का संवितरण (₹30 करोड़)।	For disbursement of unpaid/unclaimed amount to the Claimants through the IEPF under the Inter Account Transfer (₹30 crore).	-	30.00	30.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
भारतीय मुद्रा की निधि धारिता के पुनर्मूल्यांकन के प्रति मूल्य अनुसूक्षण (एमओवी) के लिए।	For Maintenance of Value (MoV) obligation due to revaluation of fund holding of Indian Currency.	-	1,672.18	1,672.18

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
31.12.2015 की स्थिति के अनुसार तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. के लिए ₹151.15 करोड़ के भारत सरकार के आयोजना-भिन्न ऋण और ₹315.92 करोड़ बकाया प्रोद्भूत ब्याज को बढ़े खाते डालना।	For write off of Government of India Non-Plan loan of ₹151.15 crore and accrued interest of ₹315.92 crore outstanding against Tungbhadra Steel Products Lts. (TSPL) as on 31.12.2015.	-	467.07	467.07
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
54 श्रम और रोजगार मंत्रालय	54 Ministry of Labour and Employment			
(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिए निर्माण तथा सीएलसी (सी) और आरएलसी (सी) को प्रशिक्षण देने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards enforcement of Labour Laws, Construction and providing training to CLC(C) and RLC(C).	1.00	-	1.00
(ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय (मुख्य) स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meetng additional expenditure under the scheme Directorate General of Mines Safety (Main).	-	0.10	0.10
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹4168 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए। (ii) राजस्व भाग से पूंजी भाग में अंतर खाता अंतरण के संबंध में व्यय का पुनःवर्गीकरण (केन्द्रीय सड़क निधि ₹20984.34 करोड़ और स्थायी सेतु शुल्क निधि (₹7500.00 करोड़)।	(a) For (i) providing additional funds under "National Highway Original Works (₹4168 crore) and (ii) reclassification of Inter Account Transfer from Revenue Section to Capital Section (Central Road Fund- ₹20,984.34 crore and Permanent Bridge Fees Fund- ₹7,500 crore).	31,957.68	-	31,957.68
(ख) मशीनरी और उपकरण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under Machinery & Equipment.	15.00	-	15.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
75 ग्रामीण विकास विभाग	75 Department of Rural Development			
(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत निधि उपलब्ध कराने के लिए।	(a) For providing fund under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA).	5,000.00	-	5000.00
(ख) ग्रामीण विकास भवन के निर्माण के लिए।	(b) For construction of Grameen Vikas Bhawan.	1.00	-	1.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
87 वस्त्र मंत्रालय	87 Ministry of Textiles			
मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (₹5 करोड़) और (ii) मुख्य निर्माण कार्यों के तहत व्यापार सुविधा तथा शिल्प संग्रहालय	For additional expenditure towards (i) National Handloom Development Programme (₹5 crore) and (ii) Trade			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(₹93.10 करोड़) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Facilitation Centre and Craft Museum (₹93.10 crore).	98.10	-	98.10
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय	95 Ministry of Urban Development			
विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं पर लोक लेखे में भारत अवसंरचना कोष में से व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure out of Bharat Infrastructure Kosh in Public Account, on various Metro Projects.	314.00	-	314.00
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
96 जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा संरक्षण मंत्रालय	96 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) फरक्का बैराज परियोजना- के तहत मध्यस्थता के भुगतान के लिए।	(a) For payment of arbitration awards under Farakka Barrage Project.	1.80	-	1.80
(ख) फरक्का बैराज परियोजना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Farakka Barrage Project.	-	18.00	18.00
(ग) भूजल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम के तहत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure towards under the scheme Ground Water Management and Regulation.	25.00	-	25.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
97 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	97 Ministry of Women and Child Development			
(क) निम्न के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए:- (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹73.98 करोड़) (ii) देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹2.68 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹40 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाइन (₹3.25 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹3 करोड़) (vi) अनुसंधान, प्रकाशन और मॉनीटरिंग (₹0.01 करोड़); (vii) निर्भया निधि से वित्त पोषित अन्य स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹180 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Integrated Child Protection Scheme (₹73.98 Crore), (ii) Scheme for welfare of Working Children in Need of Care and Protection (₹2.68 Crore), (iii) Beti Bachao Beti Padhao (₹40 Crore), (iv) Women Helpline (₹3.25 Crore), (v) One Stop Centre (₹3 Crore) and (vi) Research, Publication and Monitoring (₹0.01 Crore) (vii) Grants-in-aid General for Other Schemes funded from Nirbhaya Fund (₹180 Crore).	180.00	-	180.00
(ख) निम्न के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹39.70 करोड़) (ii) देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹0.30 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹10.00 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाइन (₹2.50 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹7.50 करोड़) और (vi) एकीकृत पोषण शिक्षा (₹4 करोड़ रु) (vii)	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Integrated Child Protection Scheme (₹39.70 Crore) (ii) Scheme for welfare of Working Children in Need of Care and Protection (₹0.30 Crore), (iii) Beti Bachao Beti Padhao (₹10 Crore), (iv) Women Helpline (₹2.50 Crore), (v) One Stop Centre (₹7.50 Crore) and (vi) Integrated Education in			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
निर्भया निधि से वित्त पोषित की जा रही अन्य स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़)।	Nutrition (₹4 Crore) (vii) Grants-in-aid General for Other Schemes funded from Nirbhaya Fund (₹20 Crore).	20.00	-	20.00

कुल तकनीकी Total Technical 39,318.08 42,746.72 82,064.80

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹1 लाख रुपये का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है जिनके सामने दर्शाए गए व्यय को संगत अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग के भीतर हुई बचतों के पुनर्विनियोग से, जैसा भी मामला हो, पूरा किया जाएगा।
4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें

Token Supplementary Demands for grants

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

(क) चावल विकास निदेशालय, पटना के लघु निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

(a) For meeting additional expenditure on minor works of Directorate of Rice Development, Patna.

- 0.20 0.20

(ख) कृषोन्नति योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹37.95 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹4.30 करोड़)।

(b) For providing additional Grants-in-aid General (₹37.95 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹4.30 crore) for Tribal Area Sub Plan under Organic Value Chain Development for NE Region under Krishonnati Yojana.

42.25 - 42.25

2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

2 Department of Agricultural Research and Education

कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।

For providing Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under scheme Agricultural Education Institutes.

- 2.10 2.10

3 पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग

3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries

(क) सामान्य घटक के लिए अंतरदेशीय मात्स्यिकी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹20.60 करोड़) और एससीएसपी (₹2.88 करोड़)।

(a) For meeting additional expenditure under the scheme of Inland Fisheries towards General Component (₹20.60 crore) and SCSP (₹2.88 crore).

23.48 - 23.48

(ख) अंतरदेशीय मात्स्यिकी स्कीम के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत प्रावधान बढ़ाने हेतु।

(b) For augmentation of provision under North Eastern Areas towards the scheme of Inland Fisheries.

16.24 - 16.24

(ग) पशुपालन संस्थान को निर्माण कार्य सहायता की दिशा में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

(c) For meeting the additional expenditure towards Works Assistance to Animal Husbandry Institute.

4.00 - 4.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	5 Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General under the scheme Grants to Central Council of Homoeopathy.	3.77	-	3.77
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6 रसायन और पेट्रोसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
(क) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी को सामान्य सहायता अनुदान।	(a) Grants-in-aid General to Institute of Pesticides Formulation and Technology (IPFT).	1.57	-	1.57
(ख) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स लिमिटेड को ऋण।	(b) Loans to Hindustan Organic and Chemicals Ltd. (HOCL).	-	24.61	24.61
7 उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
सिटी कम्पोस्ट की बिक्री हेतु बाजार विकास सहायता (एमडीए) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards Market Development Assistance (MDA) for sale of City Compost.	-	14.99	14.99
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
राज्यों को सहायता अनुदान से केन्द्रीय आयोजना में प्रावधान अंतरित करने के लिए।	For transfer of provision from Grant-in-aid to States to Central Sector.	-	0.01	0.01
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16 उपभोक्ता मामले विभाग	16 Department of Consumer Affairs			
(क) केन्द्रीय आयोजना के तहत प्रावधान के अंतरण के लिए।	(a) For transfer of provision to Central Sector.	-	7.20	7.20
(ख) केन्द्रीय आयोजना को प्रावधान के अंतरण के लिए।	(b) For transfer of provision to Central Plan.	11.25	-	11.25
17 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
विज्ञापन और प्रचार की दिशा में व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Advertisement and Publicity	-	0.14	0.14
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) कला और संस्कृति के तहत विभिन्न संस्थानों और अन्य कार्यक्रमों को अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	(a) For Grants to various Institutes and other Programmes under Art and Culture.	109.41	-	109.41
(ख) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु	(b) For providing Grants-in-aid General to			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(i) पुस्तकालय और अभिलेखागार (₹0.35 करोड़), (ii) पुरातत्व सर्वेक्षण (₹1.00 करोड़) (iii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (₹8.00 करोड़) (iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल (₹0.80 करोड़) 2. सहायता अनुदान वेतन (i) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (₹3.30 करोड़) 3. अंशदान (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹0.05 करोड़)।	(i) Library and Archives (₹0.35 crore), (ii) Archaeology Survey (₹1.00 crore), (iii) Delhi Public Library (₹8.00 crore), (iv) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal (₹0.80 crore) 2. Grants-in-aid Salaries to (i) National Council of Science Museum (₹3.30 crore) 3. Contributions (i) International Co-operation (₹0.05 crore)	-	13.50	13.50
(ग) अम्ब्रेला स्कीम सांस्कृतिक संस्थाओं के अंतर्गत भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता में मुख्य निर्माण कार्यों के लिए।	(c) For Major Works in Anthropological Survey of India, Kolkata under the Umbrella Scheme Cultural Institutions.	17.00	-	17.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय (विविध)	20 Ministry of Defence (Misc)			
रक्षा आयुध निर्माणियों के अनुसंधान (₹8 करोड़) और निर्माण कार्य (₹55 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Research (₹8 crore) and Works (₹55 crore) of Defence Ordnance Factories.	-	63.00	63.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) 25वां ईएजी प्लेनरी आयोजित करने के लिए एफएटीएफ सेल के अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Other Administrative Expenses of FATF cell in order to hold 25 th EAG Plenary.	-	1.20	1.20
(ख) एफएटीएफ की सदस्यता अंशदान के लिए।	(b) For Membership Contribution to FATF.	-	0.15	0.15
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के तहत अनुदान संबंधी व्यय के लिए (₹304.66 करोड़) और सेवाओं की खरीद, आपूर्ति, चिकित्सा पत्रिकाओं, प्रकाशन, आईईसी गतिविधि, पुरस्कार और अन्य स्थापना संबंधी आवश्यकता के लिए (₹213.90 करोड़)।	(a) For Grants (₹304.66 crore) and expenditure towards procurement of Services, Supplies, Medical Journals, Publications, IEC activity, award of prizes & other establishment related expenses (₹213.90 crore) under Medical and Public Health.	518.56	-	518.56
(ख) 1. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान सहायता (₹20 करोड़), 2. सहायता अनुदान वेतन (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹257 करोड़) और (ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (₹236 करोड़ रुपये)।	(b) 1. Grants-in-aid General to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹20 crore), 2. Grants –in-aid Salaries to (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹257 crore) and (ii) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (₹236 crore).	-	513.00	513.00
(ग) अनुदान संबंधी व्यय (₹43.29 करोड़) और सेवाओं की अधिप्राप्ति आपूर्ति, आईईसी गतिविधि और अन्य स्थापना संबंधी व्यय (₹220 करोड़)।	(c) Grants related expenditure (₹43.29 crore) and procurement of Services, Supplies, IEC activity & other establishment related expenses (₹220 crore)	263.29	-	263.29

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान।	(d) Grants-in-aid General to National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi.	-	3.00	3.00
(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुदान संबंधी व्यय।	(e) Grants related expenditure in North Eastern Areas.	244.65	-	244.65
(च) 1. निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान - (i) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹21.65 करोड़), (ii) गैर- संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹6.17 करोड़), (iii) एनआरएचएम-आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹1.50 करोड़) और (iv) एनआरएचएमआरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि। (₹29.80 करोड़)।	(f) For 1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i)Flexible Pool for Communicable Diseases (₹21.65 crore) (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹6.17 crore) and (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹1.50 crore) and (iv) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹29.80 crore)	59.12	-	59.12
(छ) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) सीएचएस के अंतर्गत दवाखाना/अस्पताल की स्थापना (₹30 करोड़) (ii) केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची (₹18.82 करोड़) (iii) केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (₹250 करोड़) (iv) सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली (₹415 करोड़) (v) अखिल भारतीय शरीरिक चिकित्सा और पुर्नवास संस्थान मुम्बई (₹1.50 करोड़) (vi) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹2 करोड़) (vii) मुख्य निर्माण कार्य के लिए जीएमएसडी में कोल्ड चैन सुविधाएं (₹7 करोड़) (viii) पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹3.75 करोड़) (ix) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम - मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए (₹17.48 करोड़) (x) केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो नई दिल्ली (₹1 करोड़)।	(g) For meeting additional requirement towards 1. Setting up of Dispensaries/ Hospital under CGHS (₹30 crore), 2. Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹18.82 crore), 3. Central Drugs Standards Control Organization (₹250 crore), 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹415 crore), 5. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹1.50 crore), 6. National Aids & STD Control Programme (₹₹2 crore), 7. Cold Chain Facilities in GMSDs-for Major Works (₹7 crore), 8. Port Health Authority (₹3.75 Cr.), 9. National Tobacco Control Programme- for procurement of Machinery & Equipment (₹17.48 crore), 10. Central Health Education Bureau, New Delhi (₹1 crore).	746.55	-	746.55
(ज) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई योजना के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(h) For meeting expenditure under the Scheme:- Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai (FWRTRC).	17.62	-	17.62

गृह मंत्रालय

48 पुलिस

महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए अन्वेषण इकाइयों की स्थापना हेतु मानव-व्यापार रोधी संबंधी के व्यय को पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

48 Police

For meeting expenditure for anti-trafficking towards setting up investigative units for Crime against women.

3.00 - 3.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
50 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	50 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
नेशनल बिल्डिंग संगठन की आवास योजना का व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Housing Scheme of National Building Organization.	5.00	-	5.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
51 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	51 Department of School Education and Literacy			
(क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत व्यावसायिक सेवा (₹5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹12.67 करोड़)।	(a) For Professional Services (₹5 crore) and Grants-in-aid General (₹12.67 crore) under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan.	17.67	-	17.67
(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुदान संबंधी व्यय के लिए।	(b) For Grants related expenditure on various schemes in North Eastern Areas.	2,031.97	-	2031.97
(ग) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹195.87 करोड़) और (ii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण (₹0.39 करोड़) के लिए।	(c) For Grants-in-aid General under the Schemes (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹195.87 crore) and (ii) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹0.39 crore).	196.26	-	196.26
(घ) 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹2.76 करोड़) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण (₹3.69 करोड़) 2. सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹15.91 करोड़)।	(d) For 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹2.76 crore) and Strengthening of Teacher Training Institutions (₹3.69 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (₹15.91 crore).	22.36	-	22.36
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
52 उच्चतर शिक्षा विभाग	52 Department of Higher Education			
(क) सामान्य शिक्षा के अंतर्गत अनुदान संबंधी व्यय (11 करोड़) और व्यावसायिक सेवा और अन्य प्रभार (₹9.50 करोड़)।	(a) Grants related expenditure (₹11 crore), Professional Services and Other Charges (₹9.50 crore) under General Education.	20.50	-	20.50
(ख) 1. शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (3.86 करोड़) 2. अंशदान के लिए (i) यूनेस्को (₹3 करोड़) और (ii) कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (₹2 करोड़) के लिए।	(b) For 1. Grants-in-aid General to Shastri Indo-Canadian Institute (₹3.86 crore) 2. Contribution to (i) UNESCO (₹3 crore) and (ii) Commonwealth of Learning (₹2 crore).	-	8.86	8.86
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
54 श्रम और रोजगार मंत्रालय	54 Ministry of Labour and Employment			
सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹1.96 करोड़), एससीएसपी (₹0.49 करोड़), केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के लिए 'बंधुआ मजदूर का पुनर्वास' स्कीम के तहत टीएसपी (₹0.25 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹1.96 crore), SCSP (₹0.49 crore) and TSP (₹0.25 crore) under the scheme Rehabilitation of Bonded Labour for Central Sector Scheme.	2.70	-	2.70

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
58 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	58 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants - in- aid General for Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim.	360.00	-	360.00
(ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब सेंटर (₹75 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन (₹0.01 करोड़) और (iii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (₹0.1905 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) National Schedule Caste/ Schedule Tribe Hub Centre (₹75 crore) (ii) Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim (₹0.01 crore) and (iii) Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY) ₹0.1905 crore.	75.20	-	75.20
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
60 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Minority Affairs			
निम्न लिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) मुख्य शीर्ष 3601 (₹17.80 करोड़) और मुख्य शीर्ष 3602 (₹0.15 करोड़) से धन के हस्तांतरण व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्कीम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के तहत और (ii) राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹9.20 करोड़)।	Transfer of Funds to the Central Sector Scheme viz. National Scholarship Portal from MH 3601 (₹17.80 crore) and MH 3602 (₹0.15 crore) and (ii) Grants-in-aid General towards Strengthening of State Waqf Boards (₹9.20 crore).	27.15	-	27.15
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
61 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	61 Ministry of New and Renewable Energy			
सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹6.50 करोड़) और ऑफ ग्रिड वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹38.50 करोड़)।	For providing Grant-in-aid General (₹6.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹38.50 crore) under the scheme off-grid distributed and Decentralized Renewable Power.	45.00	-	45.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
64 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	64 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदान सहायता वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards DOPT's Grants-in-aid Salaries	-	0.04	0.04
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
68 विद्युत मंत्रालय	68 Ministry of Power			
मणिपुर और मिजोरम के राज्य के लिए गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वेतन, भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting salary, allowances and other administrative expenses of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) constituted for the State of Manipur and Mizoram.	-	1.94	1.94

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport and Highways			
असंगठित क्षेत्र में चालकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General under Refresher Training of Drivers in Unorganized Sector and Human Resource Development.	5.00	-	5.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
76 भू-संसाधन विभाग	76 Department of Land Resources			
डिजिटल इंडिया भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के अधिकारों के रिकार्डों के कंप्यूटरीकरण, मानचित्रों के डिजीटलीकरण, सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।	For providing additional funds for computerization of Records of Rights (RoRs), digitilization of maps, survey/ resurvey using modern technology under Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)	112.10	-	112.10
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
77 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	77 Department of Science and Technology			
सामाजिक आर्थिक विकास (एस एंड टी उद्यमिता विकास) के लिए एस एंड टी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards 'Grants for creation of Capital Assets' under S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development)	20.00	-	20.00
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
81 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	81 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
(क) सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards upgradation of Government ITIs to Model ITIs.	6.06	-	6.06
(ख) सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards upgradation of Government ITIs to Model ITIs.	1.45	-	1.45
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
82 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	82 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए निम्न लिखित के तहत अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए: (i). अनुसूचित जाति के लिए मेट्रिकेतर छात्रवृत्ति (₹2791 करोड़) (i) आर्थिक रूप पिछड़े वर्गों के लिए डाक्टर आम्बेडकर मेट्रिकेतर छात्रवृत्ति स्कीम (₹10 करोड़)।	(a) For providing additional Grants through Direct Benefit Transfer under: (i) Post Matric Scholarship for SCs (₹2791 crore) (ii) Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes (₹10 crore).	2,801.00	-	2801.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) औषध दुरुपयोग और द्रव दुरुपयोग की सीमा, पैटर्न और प्रवृत्तियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।	(b) For providing additional Grant for National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug Abuse and Substance Abuse.	3.00	-	3.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
85 सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय	85 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
क्षमता विकास स्कीम के तहत आर्थिक गणना (₹5 करोड़) और सांख्यिकीय सुदृढीकरण को सहायता के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (₹25 करोड़)	For providing additional Grants-in-aid General for Economic Census (₹5 crore) and Support to Statistical Strengthening (₹25 crore) under the scheme Capacity Development.	30.00	-	30.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
87 वस्त्र मंत्रालय	87 Ministry of Textiles			
ग्रामीण और लघु उद्योगों के तहत योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on schemes under Village and Small Industries.	41.97	-	41.97
जनजातीय मामले मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
89 जनजातीय मामले मंत्रालय	89 Ministry of Tribal Affairs			
(क) सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement under Information Technology.	-	3.00	3.00
(ख) सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement under Information Technology.	-	0.50	0.50
(ग) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता के लिए।	(c) For additional requirement under the scheme Tribal Festival, Research, Information and Mass Education.	3.20	-	3.20
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
93 दमन और दीव	93 Daman & Diu			
(क) दीव जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दीव महोत्सव दीव-2016 मनाने के लिए विज्ञापन और प्रचार के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional expenditure under Advertising and Publicity for celebrating the Diu Festival "Diu-2016 for promotion of tourism in Diu District.	18.00	-	18.00
(ख) दीव में शिक्षा केंद्र का विकास और पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting the additional expenditure for Development of Education Hub at Diu and Construction of Polytechnic College Building at Diu.	10.00	-	10.00
(ग) सरकारी रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण, विशेष मरम्मत और दीव में सरकारी आवासीय क्वार्टरों के पुनरुद्धार के अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure towards construction of Government Residential Quarters, Special Repairs & Renovation to Government Residential Quarters at Diu.	1.50	-	1.50
(घ) दीव में फिशिंग मंच के निर्माण और 92 मीटर लंबा पाइल जेटी के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting the additional expenditure for construction of Fishing Platform and construction of 92 meters long Pile Jetty at Diu.	7.78	-	7.78

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
94 लक्षद्वीप	94 Lakshadweep			
(क) सूचना और जन संपर्क विभाग के विभागीय भवन के चल रहे निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards the ongoing construction of Departmental building for Information and Public Relation Department.	0.20	-	0.20
(ख) उद्योग विभाग के लिए विभागीय भवन के चल रहे निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting the additional expenditure for the ongoing construction of Departmental building for Industries Department.	0.55	-	0.55
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय	95 Ministry of Urban Development			
(क) अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure for Other Administrative Expenses.	0.49	-	0.49
(ख) निम्न लिखित का व्यय पूरा करने हेतु 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) डीयूएसी द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर को संपत्ति कर का भुगतान हेतु (₹0.47 करोड़) (ii) नगर निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के लिए (₹0.50 करोड़) और (iii) एनआईयू के लिए (₹0.10 करोड़) 2. नगर निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हेतु सहायता अनुदान वेतन (₹3.5 करोड़) 3. (iv) एनआईयू के लिए सहायता अनुदान वेतन(₹0.40 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General (i) for payment of Property Tax to India Habitat Centre by DUAC (₹0.47 crore) (ii) for training Centre for Municipal Employees (₹0.50 crore) and (iii) for NIUA (₹0.10 crore) 2. Grants-in-aid Salaries for (i) training Centre for Municipal Employees (₹3.5 crore) and (ii) NIUA (₹0.40 crore).	-	4.97	4.97
(ग) स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under Swachh Bharat Mission.	1,562.56	-	1562.56
(घ) स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under Swachh Bharat Mission.	33.12	-	33.12
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
97 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	97 Ministry of Women and Child Development			
(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (₹5.30 करोड़) और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (₹0.93 करोड़) का अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement towards Central Social Welfare Board (CSWB) (₹5.30 Crore) and National Institute of Public Cooperation and Child Development(NIPCCD)(₹0.93 Crore).	-	6.23	6.23
(ख) महिलाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन स्कीमके तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु।	(b) For meeting various additional expenditure under the scheme Mission for Protection & Empowerment of Women.	449.45	-	449.45
(ग) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए :- (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹23 करोड़)	(c) for meeting additional expenditure towards i) Integrated Child Protection			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ii) देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹0.01 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹5.50 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाइन (₹1.40 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹2.50 करोड़) (vi) महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत (₹1.27 करोड़)।	Scheme (₹23 Crore) (ii) Welfare of Working Children in Need of Care and Protection (₹0.01 Crore), (iii) Beti Bachao Beti Padhao (₹5.50 Crore), (iv) Women Helpline (₹1.40 Crore), (v) One Stop Centre (₹2.50 Crore) (vi) Mission for protection & Empowerment of Women (₹1.27 crore).	33.68	-	33.68
कुल सांकेतिक	Total Token	0.48	0.20	0.68
5. तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से एक ₹2,72,00,000 की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगें अनुमोदित होने के बाद निधि में इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।	5. An advance amounting to ₹2,72,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल योग	GRAND TOTAL	56,990.41	46,023.33	1,03,013.74
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	17,671.85	3,276.41	20,948.26
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	39,318.08	42,746.72	82,064.80
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.48	0.20	0.68

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE					
1	कृषि, और कृषक कल्याण विभाग स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Voted	1400.02	...	1400.02	1-2
2.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01	3
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	100.02	0.01	100.03	4
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) स्वीकृत	5. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01	...	0.01	5
रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग स्वीकृत	6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	0.01	0.01	0.02	6
7.	उर्वरक विभाग स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	0.01	...	0.01	7
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9.	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	...	0.01	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11.	वाणिज्य विभाग भारित	11. Department of Commerce	Charged	2.72	...	2.72	9
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	11.15	...	11.15	10
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
13.	डाक विभाग स्वीकृत	13. Department of Posts	Voted	...	150.00	150.00	11
14.	दूरसंचार विभाग स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	2000.00	500.00	2500.00	12
15.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत	15. Department of Electronics and Information Technology	Voted	180.00	110.00	290.00	13
उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
16.	उपभोक्ता मामलें विभाग स्वीकृत	16. Department of Consumer Affairs	Voted	580.02	...	580.02	14
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत	17. Department of Food and Public Distribution	Voted	27.57	40550.00	40577.57	15-16
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	18. Ministry of Corporate Affairs	Voted	55.85	...	55.85	17

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.02	0.01	0.03	18
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE						
20.	रक्षा मंत्रालय (विविध)	स्वीकृत	20. Ministry of Defence (Misc)	Voted	0.01	...	0.01	19
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS						
28.	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	600.00	...	600.00	20
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE						
29.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	60.02	1672.18	1732.20	21
32.	सरकारों को अंतरण	भारित	32. Transfers to States	Charged	...	3000.00	3000.00	22
		स्वीकृत		Voted	4000.00	...	4000.00	
34.	व्यय विभाग	स्वीकृत	34. Department of Expenditure	Voted	50.00	...	50.00	23
37.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	37. Department of Revenue	Voted	38.00	...	38.00	24
38.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	38. Direct Taxes	Voted	100.00	...	100.00	25
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE						
42.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	400.06	0.02	400.08	26-28
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES						
44	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted	467.07	...	467.07	29
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
48.	पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	25.01	...	25.01	30
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION						
50.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	50. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.01	...	0.01	31
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT						
51.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	51. Department of School Education and Literacy	Voted	0.04	...	0.04	32
52.	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	52. Department of Higher Education	Voted	100.02	...	100.02	33-34
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT						
54.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	54. Ministry of Labour & Employment	Voted	0.01	1.10	1.11	35
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
58.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	36
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
60.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	37

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
61.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01 38
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
64.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.01	...	0.01 39
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
66.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	...	1000.00	1000.00 40
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
68.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Power	Voted	0.01	...	0.01 41
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
74.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	31972.68	31972.69 42-43
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
75.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	75. Department of Rural Development	Voted	10000.00	1.00	10001.00 44
76.	भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	76. Department of Land Resources	Voted	0.01	...	0.01 45
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
77.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	77. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01 46
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
81.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	स्वीकृत	81. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.02	...	0.02 47
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
82.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	82. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	...	0.02 48
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
84.	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	84. Department of Space	Voted	...	300.00	300.00 49
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
85.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	85. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01 50
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
87.	कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Textiles	Voted	550.01	98.10	648.11 51-52

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
89. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	89. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01	...	0.01	53
	स्वीकृत		Voted	0.02	...	0.02	
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
93. दमन एवं दीव	स्वीकृत	93. Daman & Diu	Voted	0.01	0.03	0.04	54-55
94. लक्षद्वीप	भारित	94. Lakshadweep	Charged	...	17.00	17.00	56
	स्वीकृत		Voted	...	0.02	0.02	
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
95. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	95. Ministry of Urban Development	Voted	314.04	2120.00	2434.04	57-58
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGAREJUVENATION					
96. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	भारित	96. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Charged	1.80	...	1.80	59
	स्वीकृत		Voted	18.00	25.00	43.00	
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
97. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Women and Child Development	Voted	200.03	...	200.03	60-61
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
98. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	214.85	...	214.85	62
कुल जोड़		GRAND TOTAL		21496.58	81517.16	103013.74	
	भारित		Charged	4.53	3017.00	3021.53	
	स्वीकृत		Voted	21492.05	78500.16	99992.21	
अनुबंध		ANNEXURE					
							63-85

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	35952.83	30.86	35983.69	
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of the amount				
का पूरक अनुमान:	now required:				
स्वीकृत:	Voted:	1400.02	...	1400.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	37352.85	30.86	37383.71	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted:	1000.00 (का)	0.01 (खb)	1000.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	400.00 (गc)	...	400.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	1400.01	0.01	1400.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2401 - कृषि कार्य	2401 - Crop Husbandry	(-) 500.00	...	(-) 500.00	
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	2435 - Other Agricultural Programmes	(-) 200.00	...	(-) 200.00	
जोड़	Total	(-) 700.00	...	(-) 700.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय स्थायीवत कृषि मिशन के तहत अतिरिक्त सामान्य अनुदान प्रदान करना (₹ 5 करोड़)।	(a) (i) providing additional Grants in aid-General under National Mission on Sustainable Agriculture under Krishonnati Yojna – State Plan (₹ 5 crore).
(ii) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.54 करोड़), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹ 0.96 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना (₹ 0.48 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।	(ii) meeting additional requirement for Grants in aid General (₹ 4.54 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 0.96 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 0.48 crore) under Sub-Mission on Agricultural Mechanization under Krishonnati Yojna-Central Sector.
(iii) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन के अंतर्गत 'कार्यालयी व्यय' (₹ 25.85 करोड़) और 'व्यावसायिक सेवाओं' (₹ 0.50 करोड़) के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करना।	(iii) providing additional funds under 'Office Expenses' (₹ 25.85 crore) and 'Professional Services' (₹ 0.50 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension under Krishonnati Yojana - Central Sector.
(iv) कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹ 500.00 करोड़)।	(iv) Transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh (₹ 500.00 crore).
(v) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (₹ 500.00 करोड़)।	(v) additional contribution for meeting requirement under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (₹ 500.00 crore).

कृषि कल्याण कोष से समतुल्य वसूली को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें ₹500.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ख) चावल विकास निदेशालय, पटना के नए कार्यालय आवास में पुनरूद्धार/लघु निर्माण कार्यों के लिए लघु निर्माण कार्यों हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 0.20 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ग) (i) कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹ 200.00 करोड़)।
(ii) एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत ग्रामीण गोदामों के निर्माण के संबंध में दावे पूरे करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 200.00 करोड़)।

कृषि कल्याण कोष से समतुल्य वसूली को देखते हुए (₹200.00 करोड़), इसमें ₹200.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (घ) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 37.95 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹ 4.30 करोड़) प्रदान करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

Taking into account the matching recoveries from Krishi Kalyan Kosh (₹ 500.00 crore) and after utilising the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 500.00 crore.

- (b) providing additional funds for Minor Works (₹ 0.20 crore) for renovation/minor works in the new office accommodation of Directorate of Rice Development, Patna.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh (₹ 200.00 crore).
(ii) additional Grants-in-aid General for meeting claims in respect of construction of rural godowns under Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹ 200.00 crore).

Taking into account the matching recoveries from Krishi Kalyan Kosh (₹ 200.00 crore), this will entail a cash outgo of ₹ 200.00 crore.

- (d) providing additional Grants in aid-General (₹ 37.95 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4.30 crore) under Tribal Area Sub-Plan under Organic Value Chain Development for NE Region under Krishonnati Yojna – Central Sector.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6620.00	...	6620.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6620.01	...	6620.01	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत:	2415 -Agricultural Research and Education	Voted:	...	0.01	0.01
--------------------------------	----------	---	--------	-----	------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 2.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes (₹ 2.10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2395.45	36.06	2431.51	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	100.02	0.01	100.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2495.47	36.07	2531.54	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत: 2404 -Dairy Development	Voted:	100.00 (का)	...	100.00
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत: 2405 -Fisheries	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	100.02	...	100.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	100.03	...	100.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) डेयरी उद्यमी विकास स्कीम के तहत किसानों द्वारा सब्सिडी दावों की वचनबद्ध देनदारियां पूरी करना (₹ 100.00 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय डेरी योजना (ईएपी) स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 36.00 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें 100.00 करोड़ रु. का नकद व्यय होगा।
- (ख) अंतर्देशीय मात्स्यिकी, सामान्य घटक (₹ 20.60 करोड़) और एससीएसपी (₹ 2.88 करोड़) स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) अंतर्देशीय मात्स्यिकी स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरा करना (₹ 16.24 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (घ) पशुपालन संस्थान स्कीम में मुख्य निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 4.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) meeting the committed liabilities of subsidy claims by farmers under Dairy Entrepreneurs Development Scheme (₹ 100.00 crore).
- (ii) meeting additional requirement under the scheme National Dairy Plan (EAP) (₹ 36.00 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 100.00 crore.
- (b) meeting additional requirement under the scheme of Inland Fisheries, General Component (₹ 20.60 crore) and SCSP (₹ 2.88 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting the additional requirement under the scheme of Inland Fisheries (₹ 16.24 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting the additional requirement under Major Works in the scheme of Assistance to Animal Husbandry Institutes (₹ 4.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयूष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1323.20	3.00	1326.20	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1323.21	3.00	1326.21	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (₹ 3.77 करोड़)के प्रकाशन नियंत्रक और केन्द्रीय/राज्य पंजीकरण के अंकीकरण के बकाया बिलों के भुगतान के लिए "केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद को अनुदान" स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

(a) Grants-in-aid-General under the Scheme, "Grants to Central Council of Homoeopathy" for making payment towards outstanding bills of Controller of Publication and digitization of Central/State Register of Central Council of Homoeopathy (₹ 3.77 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 6

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	162.01	40.03	202.04	
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now				
पूरक अनुमान:	required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	162.02	40.04	202.06	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कीटनाशक निर्माण और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) को सामान्य सहायता अनुदान का खर्च पूरा करना (₹ 1.57 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) एचसीओएल द्वारा ली गई सॉवरेन गारंटी से निर्गमित बंधपत्रों पर ब्याज के भुगतान हेतु आकस्मिक देनदारियों का खर्च पूरा करना (₹ 24.61 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for Grants-in-aid-general to Institute of Pesticides Formulation and Technology (IPFT) (₹ 1.57 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure for contingent liabilities for payment of interest on the bonds issued by HOCL against Sovereign Guarantee obtained by it (₹ 24.61 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	74138.33	1.04	74139.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	74138.34	1.04	74139.38
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार विकास सहायता (एमडीए) को 'सिटी कंपोस्ट' की बिक्री के लिए व्यय पूरा करना (₹ 14.99 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for Market Development Assistance (MDA) for sale of 'City Compost' (₹ 14.99 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	810.52	1780.20	2590.72	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	810.53	1780.20	2590.73	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 -Civil Aviation	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष 3601-राज्यों को सहायता अनुदान के अंतर्गत रखे गए प्रावधान का अंतरण (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

transfer of provision kept under Major Head 3601 - Grant in aid to States under Central Plan (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.06	...	0.06
	स्वीकृत:	Voted:	4262.74	100.00	4362.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	2.72	...	2.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4265.52	100.00	4365.52
	भारित:	Charged:	2.78	...	2.78
	स्वीकृत:	Voted:	4262.74	100.00	4362.74

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2057 - आपूर्ति और निपटान	भारित: 2057 - Supplies and Disposals	Charged:	...	2.72	2.72

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मैसर्स पेपर एण्ड बोर्ड कन्वर्टर्स, आगरा को न्यायालय के आदेश के कारण भुगतान किए जाने से डीजीएस एण्ड डी को मंजूर किए गए आकस्मिक अग्रिम (₹ 2.72 करोड़) की प्रतिपूर्ति हेतु।

चूंकि निधियों की समान राशि अनुदान के स्वीकृत/राजस्व विभाग से लोटाई जाएगी, इसके लिए किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

The supplementary appropriation is required for:

recoupment of Contingency Advance (₹ 2.72 crore) sanctioned to DGS&D on account of payment to M/s. Paper & Boards Converters, Agra arising out of the Court Order.

As equivalent amount of funds would be surrendered from the Voted/Revenue Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 12
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3016.94	9.61	3026.55	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	11.15	...	11.15	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3028.09	9.61	3037.70	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.50 (का)	...	0.50	
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 4.00 (खब)	6.65 (गं)	10.65	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 4.50	6.65	11.15	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत ₹ 0.02 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत 0.48 करोड़ रु. सहित "कॉपीराइट का संवर्धन और आईपीआर" की (एनइआर) आयोजना स्कीमों के अंतर्गत ₹ 0.50 करोड़ के व्यय को पूरा करना।
चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मांग सं.51) के अनुदान के अंतर्गत मांगी गई अतिरिक्त राशि के लिए बचतें उलब्ध हैं, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(ख) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 3.96 करोड़ पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत ₹ 0.04 करोड़ सहित आयोजना स्कीम "कॉपीराइट संवर्धन और आईपीआर" के अंतर्गत ₹ 4.00 करोड़ का व्यय पूरा करना।
चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मांग सं.51) के अनुदान के अंतर्गत मांगी गई अतिरिक्त राशि के लिए बचतें उलब्ध हैं, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(ग) (i) कॉपीराइट बोर्ड की आयोजना भिन्न स्कीमों के अंतर्गत ₹ 4.30 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए (ii) कॉपीराइट कार्यालय के आयोजना भिन्न स्कीमों के अंतर्गत ₹ 2.35 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।
चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मांग सं.51) के अनुदान के अंतर्गत मांगी गई अतिरिक्त राशि के लिए बचतें उलब्ध हैं, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।</p> | <p>(a) Meeting the expenditure of ₹ 0.50 crore under (NER) Plan schemes "Promotion of Copyright and IPR" including ₹ 0.48 crore under Grants-in-Aid General, ₹ 0.02 crore under Grants for Creation for Capital Assets.
As savings are available for the additionality sought under the Grant of Ministry of Human Resource Development (D.No.51), a technical supplementary is sought.</p> <p>(b) Meeting the expenditure of ₹ 4.00 crore under Plan schemes "Promotion of Copyright and IPR" including ₹ 3.96 crore under Grants-in-Aid General, ₹ 0.04 crore under Grants for Creation for Capital Assets.
As savings are available for the additionality sought under the Grant of Ministry of Human Resource Development (D.No.51), a technical supplementary is sought.</p> <p>(c) (i) Meeting the expenditure of ₹ 4.30 crore under Non-Plan schemes of Copyright Board. (ii) Meeting the expenditure of ₹ 2.35 crore under Non-Plan scheme of Copyright Office.
As savings are available for the additionality sought under the Grant of Ministry of Human Resource Development (D.No.51), a technical supplementary sought.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.60	...	0.60
	स्वीकृत:	Voted:	23122.00	406.26	23528.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	150.00	150.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		23122.60	556.26	23678.86
	भारित:	Charged:	0.60	...	0.60
	स्वीकृत:	Voted:	23122.00	556.26	23678.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	--	--	----------------	------------------------------	---------------

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5201 - Capital Outlay on Postal Services	Voted:	150.00	...	150.00
------------------------------------	----------	--	--------	--------	-----	--------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ₹ 150 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional capital infusion of ₹ 150 crore in India Post Payments Bank. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	18355.96	2858.70	21214.66	
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
स्वीकृत:	Voted:	2000.00	500.00	2500.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20355.96	3358.70	23714.66	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 - Other Communication Services	Voted:	2000.00 (का)	...	2000.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5275 - Capital Outlay on Other Communication Services	Voted:	500.00 (खb)	...	500.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	2500.00	...	2500.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3275 - अन्य संचार सेवाएं	3275 - Other Communication Services	(-) 1000.00	...	(-) 1000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) दूरसंचार की आधारभूत संरचना को सृजित और विकसित करने के लिए यूएसओएफ दूर संचार सेवा प्रदाताओं से क्षतिपूर्ति के रूप में 1,000 करोड़ रु. की राशि जारी करने और सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) को 1,000 करोड़ रु. की राशि अन्तर्गत करने तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए विविध दूर-संचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए जिसमें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के संचालन और रख-रखाव और भारत नेट की जरूरत शामिल है, इन अतिरिक्त वसूलियों के मद्देनजर इस पूरक मांग पर ₹ 1,000 करोड़ के नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

(ख) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर होने वाले व्यय (₹ 500 करोड़) को पूरा करने के लिए। इसके लिए नकद व्यय की आवश्यकता होगी।

The supplementary grants are required for:

(a) transferring an amount of ₹ 1,000 crore to Universal Service Obligation Fund (USOF) and releasing an amount of ₹ 1,000 crore as compensation from USOF to telecom service providers for creation and augmentation of telecom infrastructure and for providing access to various telecom services to people in the rural and remote areas including operation and maintenance of Village Public Telephones and the requirement for Bharat Net. Taking into account the additional recoveries, this supplementary will entail cash outgo of ₹ 1,000 crore.

(b) meeting the expenditure on Optical Fibre Cable (OFC) based network for Defence Services (₹ 500 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 15

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3089.71	239.11	3328.82	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	180.00	110.00	290.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3269.71	349.11	3618.82	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 - Secretariat-Economic Services	Voted:	180.00 (का)	...	180.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted:	110.00 (खब)	...	110.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	290.00	...	290.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) निम्न की स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (₹ 30 करोड़) केन्द्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल के लिए ₹ 10 करोड़ सहित और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹ 150 करोड़) उपर्युक्त में नकद व्यय होगा। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) केन्द्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल के लिए ₹ 5 करोड़ सहित केन्द्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के नए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो की स्थापना एवं मौजूदा स्टूडियो एनआईसीएनईटी सेवाएं, जिला केंद्र, साइबर सुरक्षा उपकरण और आंकड़ा केंद्र का उन्नयन (₹ 70 करोड़)। (ii) नए आईटी हार्डवेयर की अधिप्राप्ति लागत और यूआईडीएआई मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए भुगतान (₹ 40 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards establishment related expenses of (i) National Informatics Centre (₹ 30 crore) including ₹ 10 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹ 150 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting expenditure towards (i) setting up of new video conferencing studios and upgradation of existing studios, NICNET services, District Centres, Cyber security equipment and Data Centres of National Informatics Centre (₹ 70 crore) including ₹ 5 crore towards Central Public Procurement Portal and (ii) cost of procurement of new IT Hardware and payment for construction of UIDAI HQ building (₹ 40 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 16

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1239.81	17.30	1257.11	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	580.02	...	580.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1819.83	17.30	1837.13	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: ...	80.00 (का)	80.00
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत:	3456 -Civil Supplies	Voted: 500.00 (खब)	0.01 (गक)	500.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted: 500.01	80.01	580.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3456 - नागरिक आपूर्ति	3456 - Civil Supplies	...	(-) 0.01	(-) 0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) दालों के आयात पर सब्सिडी के बकाया का भुगतान (₹ 80.00 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) अधिक मात्रा में दालों की खरीद और प्याज जैसी (₹ 500.00 करोड़) अन्य जिस की अधिप्राप्ति के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।
(ii) केंद्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष 3601 और 3602 के अन्तर्गत रखे गए प्रावधान का अंतरण करना (₹ 24.77 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में ₹500.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ग) मुख्य शीर्ष 3601 और 3602 के अन्तर्गत रखे गए प्रावधान का अंतरण करना (₹ 7.20 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (घ) केंद्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष 3601 के अन्तर्गत रखे गए प्रावधान का अंतरण करना (₹ 11.25 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) payment of arrears of subsidy on import of pulses (₹ 80.00 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) (i) meeting additional requirement under Price Stabilization Fund for procurement of enhanced quantity of pulses and other commodities like onion (₹ 500.00 crore).
(ii) effecting transfer of provision kept under Major Head 3601 and 3602 under Central Plan (₹ 24.77 crore). The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 500.00 crore.
- (c) effecting transfer of provision kept under Major Head 3601 and 3602 (₹ 7.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) effecting transfer of provision kept under Major Head 3601 under Central Plan (₹ 11.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	142102.51	10601.60	152704.11	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	27.57	40550.00	40577.57	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	142130.08	51151.60	193281.68	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2408 - खाद्य भंडारण और भण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	...	27.56 (खb)	27.56
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	...	27.57	27.57
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6408 - खाद्य भंडारण और भण्डागारण के लिए ऋण	स्वीकृत: 6408 - Loans for Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	40000.00 (गc)	40000.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6860 - Loans for Consumer Industries	Voted:	...	550.00 (घd)	550.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	...	40550.00	40550.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	40577.57	40577.57
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
6408 - खाद्य भंडारण और भण्डागारण के लिए ऋण	6408 - Loans for Food, Storage and Warehousing		...	(-) 40000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) विज्ञापन और प्रचार संबंधी व्यय पूरा करना (₹ 0.14 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ख) (i) "अपरिष्कृत चीनी उत्पादन के विपणन और प्रोत्साहन सेवा" स्कीम के तहत लंबित बकाया दावों का भुगतान(₹ 11.57 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure in respect of Advertisement and Publicity (₹ 0.14 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) payment of pending claims under the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" (₹ 11.57 crore).

<p>(ii) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के लिए 'कार्यालयी व्यय' (₹ 1.10 करोड़) और 'लघु निर्माण कार्य' (₹ 1.05 करोड़) के तहत व्यय पूरा करना।</p> <p>(iii) खोले जाने वाले नए कार्यात्मक शीर्ष के केन्द्रीय आयोजना के तहत मुख्य शीर्ष 3601 (₹ 2200 करोड़), मुख्य शीर्ष 3602 (₹ 224 करोड़) और मुख्य शीर्ष 2408 (₹ 76 करोड़) से प्रावधान का अंतरण प्रभावी करने हेतु।</p> <p>(iv) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के कर्मचारियों के लिए उन्नत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संबंध में व्यय पूरा करना (₹ 27.56 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 27.56 करोड़ नकद व्यय होगा।</p>	<p>(ii) meeting expenditure under 'Office Expenses' (₹ 1.10 crore) and 'Minor Works' (₹ 1.05 crore) in respect of National Sugar Institute, Kanpur.</p> <p>(iii) effecting transfer of provision from Major Head 3601 (₹ 2200 crore), Major Head 3602 (₹ 224 crore) and Major Head 2408 (₹ 76 crore) under Central Plan to a new functional head to be opened.</p> <p>(iv) meeting expenditure in respect of improved Voluntary Retirement Scheme for the employees of Hindustan Vegetable Oil Corporation (₹ 27.56 crores).</p> <p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 27.56 crore.</p>
<p>(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम देने हेतु (₹ 40,000 करोड़)।</p> <p>चूंकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही अर्थोपाय अग्रिम की राशि चुकाई जानी है, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(c) providing Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet the working capital requirements towards procurement of food grains for Targeted Public Distribution System (₹ 40,000 crore).</p> <p>As the amount of Ways and Means Advance is to be repaid during the current financial year itself, this will not entail any additional cash outgo.</p>
<p>(घ) चीनी विकास निधि में अन्तर खाते अंतरण के संबंध में राजस्व भाग से पूंजी भाग के व्यय का पुनर्वर्गीकरण (₹ 550.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(d) reclassification of expenditure from Revenue Section to Capital Section in respect of Inter Account Transfer to Sugar Development Fund (₹ 550.00 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				राजस्व Revenue	(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत:		Voted:	314.43	30.00		344.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
स्वीकृत:		Voted:	55.85	...		55.85
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		370.28	30.00		400.28
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan			जोड़ Total

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	...	39.00 (का)	39.00
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	...	16.85 (खब)	16.85
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	...	55.85	55.85

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	...	(-) 30.00	(-) 30.00
-------------------------------	--------------------------------------	-----	-----------	-----------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) अंतरखाता अंतरण के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के जरिए दावाकर्ताओं को रु 30 करोड़ न चुकाई गई/ अदावाकृत राशि का संचितरण।	(a) (i) disbursement of unpaid / unclaimed amount of ₹ 30 crore to the claimants through the IEPF Authority under the 'Inter Account Transfer'.
(ii) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (₹ 4 करोड़) और आईटी पेशेवरों आदि को कार्य पर लगाने के लिए रु 5 करोड़ के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पंजीकरण केन्द्र की स्थापना। इसकी मद्देनजर रु 30 करोड़ का व्यय आईईपीएफ प्राधिकरण के खाते से वसूलियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए रु 9 करोड़ नकद व्यय के बराबर होगा, उपरोक्त व्यय में रु 9 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(ii) setting up of Central Registration Centre for promoting 'Ease of Doing Business' (₹ 4 crore) and ₹ 5 crore for engagement of IT professionals etc for Digital India Program Taking into account the the expenditure of ₹ 30 crore will matched with the recoveries on account of IEPF Authority and Cash outgo of ₹ 9 crore for Ease of Doing Business and Digital India Program, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 9 crore;
(ख) (i) इनसोल्वेंसी बैंकप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना व्यय (₹ 10 करोड़)।	(b) (i) establishment expenditure of Insolvency Bankruptcy Board of India (₹ 10 crore)
(ii) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्रीमियर प्राधिकरण (एनएफआरएए) का स्थापना व्यय (₹ 5 करोड़)	(ii) establishment expenditure of National Financial Reporting Authority (NFRA) and National Financial Reporting Appellate Authority (NFRAA)(₹ 5 crore)
(iii) ईडब्ल्यूएस परियोजनाओं के लिए लाइसेंस अधिप्राप्ति और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आदि की खरीद (₹ 1.85 करोड़)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(iii) procurement of licenses and purchase of software/hardware etc. for the EWS Project (₹ 1.85 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

		राजस्व Revenue		(करोड़ रुपये Rupees in Crore) पूंजी Capital		जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:		Voted:	2430.00		70.00	2500.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2430.02		70.01	2500.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान : (i).राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन (₹ 0.10 करोड़), (ii)टैगोर संस्कृति कॉम्प्लेक्स (₹ 0.01 करोड़),(iii) गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 1.00 करोड़), (iv) जन्मशती और वर्षगांठ महोत्सव (₹ 2.50 करोड़), (v) पुस्तकालय और भण्डारग्रह (₹ 1.15 करोड़), (vi) संग्रहालय (₹ 0.50 करोड़), (vii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (₹ 3.48 करोड़), (viii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (₹ 11.04 करोड़)। 2. पूँजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (i) सांस्कृतिक संस्थान (₹ 2.00 करोड़), (ii)राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन (₹ 19.90 करोड़), (iii) टैगोर संस्कृति कॉम्प्लेक्स (₹ 23.99 करोड़),(iv) जन्मशती और वर्षगांठ महोत्सव (₹ 17.50 करोड़), (v) संग्रहालय (₹ 12.50 करोड़), (vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (₹ 2.00 करोड़), (vii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (₹ 8.74 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ख) 1. निम्न को सामान्य सहायता अनुदान (i) पुस्तकालय और आर्काइव्स (₹ 0.35 करोड़), (ii)पुरातत्वविक सर्वेक्षण (₹ 1.00 करोड़), (iii) दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय (₹ 8.00 करोड़), (v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल (₹ 0.80 करोड़)। 2. सामान्य वेतन अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (₹ 3.30 करोड़)। 3. अंशदान (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (₹ 0.05 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ग) 1. सांस्कृतिक संस्थान अम्ब्रेला स्कीम के तहत एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रमुख निर्माण कार्यों हेतु (₹ 17.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) 1. Grants-in-Aid General for(i) National Gandhi Heritage Site Mission (₹ 0.10 crore), (ii) Tagore Cultural Complex (₹ 0.01 crore), (iii) Gandhi Smriti and Darshan Samiti (₹ 1 crore), (iv)Centenary and Anniversary Celebrations (₹ 2.50 crore), (v) Library and Archives (₹ 1.15 crore), (vi) Museums-(₹ 0.50 crore), (vii) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (₹ 3.48 crore), (Viii) National Council of Science Museum (₹ 11.04 crore) 2. Grants for creation of Capital Assets-(i) Cultural Institutions (₹ 5 crore), (ii) National Gandhi Heritage Site Mission (₹ 19.90 crore), (iii)Scheme of Tagore Cultural Complex (₹ 23.99 crore), (iv)Centenary & Anniversary Celebration (₹ 17.50 crore), (v) Museums (₹ 12.50 crore), (vi) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (₹ 2 crore), (viii) National Council of Science Museum (₹ 8.74 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) 1. Grants-in-Aid General (i) Library and Archives (₹ 0.35 crore), (ii) Archaeology Survey (₹ 1 crore),(iii) Delhi Public Library (₹ 8 crore), (iv) Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal (₹ 0.80 crore) 2. GlA Salaries (i) National Council of Science Museum (₹ 3.30 crore) 3. Contributions (i) International Co-operation (₹ 0.05 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) 1. For Major Works in Anthropological Survey of India, Kolkata under the Umbrella Scheme 'Cultural Institutions' (₹ 17 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20-21 देखिये)

(See page 20-21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	15.24	45.00	60.24
	स्वीकृत:	Voted:	56449.44	12027.95	68477.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		56464.69	12072.95	68537.64
	भारित:	Charged:	15.24	45.00	60.24
	स्वीकृत:	Voted:	56449.45	12027.95	68477.40
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	स्वीकृत: 2079 -Defence Services - Ordnance Factories	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

रक्षा आयुध निर्माणियों के अनुसंधान (₹ 8 करोड़) और निर्माण कार्य पर (₹ 55 करोड़) के अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure on research (₹ 8 crore) and works (₹ 55 crore) of Defence Ordnance Factories.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11679.63	2983.00	14662.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	600.00	...	600.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		12279.66	2983.00	15262.66
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	12279.63	2983.00	15262.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted:	...	600.00	600.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- (i) विशेष आर्थिक पैकेज एमआरपीएल-एसटीसी संविदा हेतु व्यवहार्यता अन्तराल निधि, सामान्य सेवा संस्थान, निर्वाचन आयोग भवन बाह्य द्वीप अवसंरचना विकास आदि के लिए मारीशस को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता को पूरी करने के लिए और द्वीप अवसंरचना और अन्य परियोजनाएं तैयार करने के लिए सेशेल्स को सहायता (₹ 500.00 करोड़)।
- (ii) चाबाहर पत्तन के विकास के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए (₹ 100.00 करोड़)।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद खर्च की आवश्यकता पड़ेगी।

- (i) meeting additional requirement for aid to Mauritius for a Special Economic package, viability gap funding for MRPL - STC Contract, Civil Services Institute, Electoral Commission building, outer island infrastructure development etc. and aid to Seychelles for development of island infrastructure and other projects (₹ 500.00 crore)
- (ii) for providing additional funds for development of Chabahar Port (₹ 100.00 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30-31 देखिये)

(See page 30-31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	12335.39	8470.70	20806.09	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	60.02	1672.18	1732.20	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12395.41	10142.88	22538.29	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01	
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत: 3466 -International Financial Institutions	Voted: ...	60.00 (खb)	60.00	
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: ...	60.02	60.02	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	1672.18 (घd)	1672.18	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	1732.20	1732.20	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 25 ईएजी संगोष्ठी के आयोजनार्थ एफएटीएफ प्रकोष्ठ के अन्य प्रशासनिक व्ययों हेतु ₹ 1.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) (i) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) की स्थापना में अंशदान (₹ 60 करोड़)। (ii) विशेष आहरण अधिकारों के प्रशासनार्थ आईएमएफ को देय आंकलन प्रभार (₹ 0.71 करोड़)। ₹ 60 करोड़ नकद व्यय होगा और अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.71 करोड़ की बचत उपलब्ध है। अतः ₹60 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ग) एफएटीएफ में सदस्यता अंशदान हेतु ₹ 0.15 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (घ) भारतीय मुद्रा की निधि धारिता के पुनः मूल्यांकन के कारण मूल्य अनुरक्षण (एमओवी) दायित्व (₹ 1672.18 करोड़)। प्रतिभूतियों के निर्गम से ₹ 1672.18 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखने के बाद इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 1.20 crore for Other Administrative Expenses of FATF cell in order to hold 25th EAG Plenary. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Contribution to set up South Asia Regional Training and Technical Assistance Centre (SARTTAC) (₹ 60 crore) (ii) Assessment charges payable to IMF towards Administration of Special Drawing Rights (₹ 0.71 crore) ₹ 60 crore will entail cash outgo and savings of ₹ 0.71 crore are available in the same section of the Grant. Hence, net cash outgo will be ₹ 60 crore.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 0.15 crore for Membership Contribution to FATF. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Maintenance of Value (MoV) obligation due to revaluation of fund holdings of Indian currency (₹ 1672.18 crore). After taking into account additional receipts of ₹ 1672.18 crore by issue of securities, this will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 32

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	100646.36	12600.00	113246.36
	स्वीकृत:	Voted:	25250.00	...	25250.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	...	3000.00	3000.00
	स्वीकृत:	Voted:	4000.00	...	4000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		129896.36	15600.00	145496.36
	भारित:	Charged:	100646.36	15600.00	116246.36
	स्वीकृत:	Voted:	29250.00	...	29250.00

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted: ...	2000.00 (का)	2000.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 2000.00 (खb)	...	2000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted: 2000.00	2000.00	4000.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	भारित:	7601 - Loans and Advances to State Governments	Charged: 3000.00 (गc)	...	3000.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		5000.00	2000.00	7000.00
	भारित:	Charged:	3000.00	...	3000.00
	स्वीकृत:	Voted:	2000.00	2000.00	4000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत ओला, बेमौसम वर्षा, सूखा, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 2000.00 करोड़)।</p> <p>उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) राज्यों को आवश्यकता के आधार पर विशेष सहायता के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 2000.00 करोड़)।</p> <p>उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिमों के रूप में राज्य सरकारों को अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 3000.00 करोड़)।</p> <p>उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities like, hailstorm, Unseasonal rain, drought, flood etc., under National Disaster Response Fund (NDRF)(₹ 2000.00 crore).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo.</p> <p>(b) providing additional fund for need based special assistance to states (₹ 2000.00 crore).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo.</p> <p>(c) providing additional funds to State Governments as loans and advances for Externally Aided Projects (₹ 3000.00 crore).</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 34

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	226.65	...	226.65	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	50.00	...	50.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	276.65	...	276.65	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	50.00	...	50.00
-----------------------------------	----------	---------------------------------------	--------	-------	-----	-------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के लिए ₹ 50 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पूरा करना।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 50 crore for the project Public Finance Management System (PFMS).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 37

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	11868.99	56.00	11924.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	38.00	...	38.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		11907.01	56.00	11963.01
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	11906.99	56.00	11962.99
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted:	...	38.00	38.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत सरकार के लिए वोडाफोन कैर्न और वेदान्ता द्वारा संस्थापित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के संबंध में ₹ 38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

additional expenditure of ₹ 38 crore in relation to the International arbitration instituted by Vodafone, Cairn and Vedanta against Government of India.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 38

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	5187.00	202.00	5389.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	100.00	...	100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5287.00	202.00	5489.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2020 - आय और व्यय पर करों का संग्रहण	स्वीकृत:	2020 -Collection of Taxes on Income and Expenditure	Voted:	...	100.00	100.00
--------------------------------------	----------	---	--------	-----	--------	--------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आय प्रकटीकरण स्कीम (आईडीएस) 2016 और विवाद समाधान स्कीम 2016 का विज्ञापन और प्रचार (₹ 100 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

advertisement and publicity of Income Disclosure Scheme (IDS) 2016 and Disputes Resolution Scheme, 2016 (₹ 100 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 42

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	38899.71	1757.86	40657.57	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	400.06	0.02	400.08	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	39299.77	1757.88	41057.65	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (डे)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	400.00 (चf)	...	400.00
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	400.04	0.02	400.06
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	0.01 (जh)	...	0.01
4211 - परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4211 - Capital Outlay on Family Welfare	Voted:	0.01 (झi)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	400.06	0.02	400.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) गैर संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल (₹ 13.46 करोड़), (ii) राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 90 करोड़), (iii) अन्य स्वास्थ्य स्कीम (₹ 0.10 करोड़) (iv) आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं (₹ 8.50 करोड़), (v) एंटी माइक्रो प्रतिरोध कार्यक्रम (₹ 0.65 करोड़), और (vi) वायरल हेप्टाइटिस कार्यक्रम (₹ 0.45 करोड़), 2. निम्न स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (i) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 72 करोड़) (ii) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन- नया मेडीकल कॉलेज स्थापित करना (जिला अस्पताल का उन्नयन) (₹ 20 करोड़) (iii) आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं (₹ 39.50 करोड़), और (iv) ओवरसाईट समिति के अनुसार उच्चतर अधिगम संस्थान (₹ 60 करोड़), 3. सेवाओं की अधिप्राप्ति, आपूर्तियां, मेडीकल पत्रिकाएं, प्रकाशन, आईईसी गतिविधि,

The supplementary grants are required for:

- (a) 1. Grants-in-Aid General under the Scheme (i) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹ 13.46 crore), (ii) National AIDS Control Programme (₹ 90 crore), (iii) Other Health Scheme (₹ 0.10 crore), (iv) Emergency Medical Services (₹ 8.50 Crore), (v) Anti-micro Resistance Program (₹ 0.65 crore) and (vi) Viral Hepatitis Programme (₹ 0.45 Cr.), 2. Grants for creation of capital assets under the Scheme (i) Post-graduate institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 72 Crore) (ii) Human Resources for Health & Medical Education-Establishing New Medical Colleges(Upgrading District Hospitals) (₹ 20 crore) (iii) Emergency Medical Services (₹ 39.50 Crore) and (iv) Institutions of higher learning as per the Oversight Committee

पुरस्कार प्रदान करना और स्कीम के तहत स्थापना संबंधी अन्य व्यय (i) संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ 10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 180 करोड़) (iii) संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ 13.90 करोड़) और iv. काया कल्प स्कीम के तहत केंद्रीय सरकारी अस्पतालों/संस्थानों को पुरस्कार (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ख) 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 20 करोड़), 2. निम्न स्कीम के तहत वेतन सहायता अनुदान (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (₹ 257 करोड़) और (ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (₹ 236 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ग) 1. निम्न को सामान्य सहायता अनुदान (i) एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (₹ 37.50 करोड़), (ii), नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकार नियंत्रण कार्यक्रम सहित एनआरएचएम-आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल आदि (₹ 1 करोड़), (iii) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से विकार नियंत्रण कार्यक्रम सहित एनआरएचएम-आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल आदि (₹ 4.79 करोड़) 2. सेवाओं की अधिप्राप्ति, आपूर्तियाँ, आईईसी गतिविधि और स्थापना से संबंधित अन्य खर्च के लिए अतिरिक्त व्यय। (i) एफपी सामग्री की अधिप्राप्ति (₹ 110 करोड़)- निरोधकों का सामाजिक विपणन (₹ 34 करोड़) और एफपी सामग्री की नि: शुल्क आपूर्ति (₹ 76 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ङ) 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान - (i) गैर-संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ 81.59 करोड़), (ii) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सहित, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 43.06 करोड़), (iii) राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (₹ 20 करोड़ रु), 2. निम्न स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-स्वास्थ्य व चिकित्सा के लिए मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण: - नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन) (₹ 100 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (च) 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता - (i) संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ 328.35 करोड़), (ii) गैर-संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल (₹ 442.78 करोड़), (iii) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सहित, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 454.44

(₹ 60 Crore), 3. Procurement of Services, Supplies, Medical Journals, Publications, IEC activity, award of prizes & other establishment related expenses under the Scheme- (i) Flexible Pool for -Communicable Disease (₹ 10 crore)(ii) National AIDS Control Programme (₹ 180 crore) (iii) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 13.90 Crore) and (iv) Award of Prizes to Central Govt. Hospitals/Institutions under Kaya-kalp Scheme (₹ 10 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. GIA General under the scheme (i) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 20 crore), 2. Grants -in-aid Salaries under the scheme-(i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 257 crore) and (ii) Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (₹ 236 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-aid General:- (i) Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 37.50 crore), (ii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 1 crore), (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 4.79 crore) 2. Additional expenditure on Procurement of Services, Supplies, IEC activity & other establishment related expenses. (i) Procurement of FP Material (₹ 110 Crore) - Social Marketing of Contraceptives (₹ 34 crore)& Free Supply of FP Material (₹ 76 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- GIA General under the scheme :-National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi(₹ 3 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹ 81.59 crore), (ii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 43.06 crore), (iii) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 20 Crore), 2. Grants for creation of capital assets under the Scheme:-Human Resources for Health & Medical Education-Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 100 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 328.35 crore), (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹ 442.78 crore), (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency

करोड़) और (iv) राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (₹ 180 करोड़), 2. निम्न स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन –नर्सिंग सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) का उन्नयन/सुदृढीकरण (₹ 100 करोड़) (ii) स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन –राज्यों में पराचिकित्सा राज्य संस्थानों की स्थापना और पराचिकित्सा शिक्षा कॉलेजों की स्थापना (₹ 400 करोड़) (iii) स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन –राज्यों में पराचिकित्सा राज्य संस्थानों की स्थापना और पराचिकित्सा शिक्षा कॉलेजों की स्थापना (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें (₹ 400 करोड़) का नकद व्यय होगा।

- (छ) निम्न स्कीम के तहत सामान्य (i) संचारी रोग के लिए फ्लेक्सीबल (₹ 21.65 करोड़) (ii) गैर- संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल (₹ 6.17 करोड़) और (iii) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सहित, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 1.50 करोड़) और (iv) एनआरएचएम-आरसीएच नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सहित, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अभाव जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (₹ 29.80 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (ज) निम्न स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करने के लिए 1. सीजीएचएस के तहत औषधालय / अस्पताल की स्थापना (₹ 30 करोड़), 2. केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची (₹ 18.82 करोड़), 3. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (₹ 250 करोड़), 4. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 415 करोड़), 5. अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई (₹ 1.50 करोड़), 6. राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 2 करोड़), 7. जीएमएसडी में कोल्ड चैन सुविधाएं – प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए (₹ 7 करोड़), 8. पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹ 3.75 करोड़ रु।), 9. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम- मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए - (17.48 करोड़), 10 केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली (₹ 1 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

- (झ) निम्न स्कीम के तहत आवश्यकता पूरी करना: - परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई (एफडब्ल्यूआरटीसी) (₹ 17.62 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

Disorders Control Programme etc. (₹ 454.44 crore) and (iv) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ (180 Crore), 2. Grants for creation of Capital Assets under the Scheme:- (i) Human Resources for Health & Medical Education- Upgradation/Strengthening of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 100 crore). (ii) Human Resources for Health & Medical Education- Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals) (₹ 400 crore) and (iii) Human Resources for Health & Medical Education – Setting up of State Institutions of Para-medical Sciences in States and Setting up of Colleges of Paramedical Education (₹ 50 Crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of (₹ 400 crore).

1. Grants-in-aid General under the Scheme:- (i) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 21.65 crore) (ii) Flexible Pool for Non-Communicable Diseases (₹ 6.17 crore) and (iii) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 1.50 crore) and (iv) NRHM-RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (₹ 29.80 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- for meeting for the additional requirement under the Scheme:- 1. Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 30 crore), 2. Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 18.82 crore), 3. Central Drugs Standards Control Organization (₹ 250 crore), 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 415 crore), 5. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹ 1.50 crore), 6. National Aids & STD Control Programme (₹ 2 crore), 7. Cold Chain Facilities in GMSDs-For Major Works (₹ 7 crore), 8. Port Health Authority (₹ 3.75 Cr.), 9. National Tobacco Control Programme- For procurement of Machinery & Equipment (₹ 17.48 crore), 10. Central Health Education Bureau, New Delhi (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- meeting under the requirement under the Scheme:- Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai (FWRTRC) (₹ 17.62 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	392.87	907.13	1300.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	467.07	...	467.07	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	859.94	907.13	1767.07	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	...	467.07	467.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 22.12.2015 के निर्णय के अनुसार 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. के लिए ₹ 151.15 करोड़ के भारत सरकार के आयोजना-भिन्न ऋण और ₹ 315.92 करोड़ बकाया प्रोद्भूत ब्याज को बट्टे खाते डालना। यह केवल बही समायोजना के लिए है और इसमें कोई नकद व्यय नहीं है।

तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

Write off of Government of India Non-plan loan of ₹ 151.15 crore and accrued interest of ₹ 315.92 crore outstanding against Tungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL) as on 31.12.2015, as per CCEA decision dated 22.12.2015. This is only for book adjustment and no cash outgo.

A technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 48

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 7.44	6.66	14.10
	स्वीकृत:	Voted: 61674.97	9035.51	70710.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 25.01	...	25.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	61707.42	9042.17	70749.59
	भारित:	Charged: 7.44	6.66	14.10
	स्वीकृत:	Voted: 61699.98	9035.51	70735.49

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	25.00 (कa)	25.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	25.00	25.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आसूचना ब्यूरो के गुप्त सेवा व्ययों का खर्च पूरा करना (₹ 25 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु अन्वेषण इकाइयों की स्थापना हेतु एंटी
ट्रेफिकिंग का खर्च पूरा करना (₹ 3 करोड़)।अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित
है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure for Secret Service Expenses of Intelligence
Bureau (₹ 25 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) meeting expenditure for anti-trafficking for setting up
investigative units for Crime against women (₹ 3 crore)Taking into account the savings available in the same section of
the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	5411.00	...	5411.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5411.01	...	5411.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की आवास स्कीम के लिए व्यय पूरा करना (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for Housing Scheme of National Building Organization (₹ 5 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	63826.65	...	63826.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		63826.69	...	63826.69

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ख)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (ग)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (घ)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत पेशेवर सेवाएं (₹ 5.00 करोड़) और (ii) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत सहायता अनुदान (₹ 12.67 करोड़)

- (a) (i) Professional Services under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan(₹ 5.00 crore) and (ii)GIA General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan(₹ 12.67crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) 1. स्कीम के तहत सहायता अनुदान: (i) सर्वशिक्षा अभियान (₹ 1411.20 करोड़) और (ii) स्कूलों में मध्याह्न योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 544.00 करोड़) 2. स्कीमों के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान: (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹ 50.77 करोड़) और (ii) स्कूलों में मध्याह्न योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 26.00 करोड़)

- (b) 1. GIA General under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 1411.20 crore) and (ii) National Programme of Mid Day Meals in Schools(₹ 544.00 crore); 2. Grant for creation of Capital Asset under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 50.77 crore) and (ii)National Programme of Mid Day Meals in Schools(₹ 26 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) (ग) स्कीम के तहत सहायता अनुदान (i) सर्व शिक्षा अभियान (₹ 195.87 करोड़) और (ii) प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (₹ 0.39 करोड़)

- (c) GIA General under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 195.87 crore) and (ii) Strengthening of Teacher Training Institutions(₹ 0.39 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) (घ) 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) सर्वशिक्षा अभियान (₹ 2.76 करोड़) और (ii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (₹ 3.69 करोड़) 2. स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान:- सर्व शिक्षा अभियान (₹ 15.91 करोड़)

- (d) 1. GIA General under the scheme (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 2.76 crore) and (ii) Strengthening of Teacher Training Institutions(₹ 3.69 crore); 2. Grant for creation of Capital Asset under the scheme:- Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 15.91 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांग जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 52

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	28840.00	...	28840.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	100.02	...	100.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	28940.02	...	28940.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: 90.00 (गc)	...	90.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 10.00 (घd)	...	10.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 100.01	0.01	100.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) 1. इस स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान-(i) उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसियां (एचईएफए) (₹ 5.00 करोड़), (ii) राष्ट्रीय अकादमी निक्षेपागार (₹ 5.00 करोड़) और (iii) विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹ 0.50 करोड़) 2. निम्न स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान-विश्वस्तरीय संस्थाएं (₹ 0.50 करोड़) 3. स्कीम के अंतर्गत पेशेवर सेवाएं- उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)(₹ 1.50 करोड़) तथा अन्य प्रभार-(एचईएसपीआईएस) (₹ 8.00 करोड़)।

(a) 1. GIA General under the Scheme-(i) Higher Education Financing Agencies (HEFA) (₹ 5.00 Crore), (ii) National Academic Depository (₹ 5.00 crore) and (iii) World Class Institutions (₹ 0.50 crore) 2. Grants for creation of capital Assets under the Scheme-World Class Institutions (₹ 0.50 crore) 3. Professional Services under the Scheme- Higher Education Statistics and Public Information System (HESPIS)(₹ 1.50 crore) and Other Charges-(HESPIS) (₹ 8.00 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान-शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान (₹ 3.86 करोड़) 2. निम्नलिखित को अंशदान- (i) यूनेस्को (₹ 3.00 करोड़) और (ii) राषट्रमंडल शिक्षण (₹ 2.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(b) 1. GIA General under the Scheme-Shastri Indo-Canadian Institute (₹ 3.86 crore) 2. Contribution to-(i) UNESCO (₹ 3.00 crore) and (ii) Commonwealth of Learning (₹ 2.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजी आसति के सृजन हेतु अनुदान(₹ 90 करोड़)
(ii) (क)प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु राष्ट्रीय पहल स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.81 करोड़), भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत (ईएपी)(₹ 10 करोड़)। (ख) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 200 करोड़)। (ग) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत पेशेवर सेवाएं (₹ 10 करोड़)।

(c) (i) Grant for creation of capital Asset under the Scheme-Support to Indian Institutes of Technology(₹ 90 crore)
(ii) (a)GIA General under the Scheme-National initiative for technology transfer(₹ 0.81 crore) and Technical Education Quality Improvement Project of Government of India(₹ 40 crore) (b) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme-Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (₹ 200 crore) (c) Professional Services under the Scheme-Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)(₹ 10 Crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें (₹ 90 करोड़) का नकद व्यय होगा।

- (घ) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजी आसक्ति के सृजन हेतु अनुदान(₹ 10 करोड़)
- (ii) (क) स्कीम -हेफा के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)
- (ख) स्कीम- (एचईएसपीआईएस) के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 0.90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 10 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of (₹ 90 crore).

- (d) (i) Grants for creation of Capital Asset under the Scheme-Support to Indian Institutes of Technology (₹ 10 Crore)
- (ii) (a) GIA General under the Scheme-(HEFA)(₹ 1 Crore)
- (b)Other Charges under the Scheme-(HESPIS) (₹ 0.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 10 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6432.83	21.15	6453.98	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	1.10	1.11	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6432.84	22.25	6455.09	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 - Labour and Employment	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted:	1.00 (खb)	0.10 (गc)	1.10
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	1.01	0.10	1.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के लिए 'बंधुआ मजदूर का पुनर्वास' स्कीम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। ₹ 2.70 करोड़ की राशि (₹ 1.96 करोड़ सामान्य के लिए, ₹ 0.49 करोड़ एससीएसपी के लिए और ₹ 0.25 करोड़ टीएसपी के लिए) सामान्य सहायता अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष 3601 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर का पुनर्वास स्कीम के लिए उपलब्ध है, और इसी राशि का मुख्य शीर्ष 2230 के तहत पुनर्विनियोजन होगा।

चूंकि, बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) बेहतर समाधान, रोकथाम मध्यस्थता, श्रम कानून का कारगर प्रवर्तन सीएलसी (सी) और आरएलसी (सी) नई दिल्ली के लिए संयुक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु मशीनरी की आवश्यकता पूरी करना, और प्रयोजन शीर्ष मुख्य शीर्ष के तहत (₹ 1.00 करोड़) के तहत सीएलसी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसी अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है।

चूंकि, बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक की मांग की जाती है।

- (ग) प्रयोजन शीर्ष मोटर वाहन (₹ 0.10 करोड़) में खान सुरक्षा महानिदेशालय (मुख्य) स्कीम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। इसी अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 0.10 करोड़ की बचत उपलब्ध हैं।

चूंकि बचतें उपलब्ध हैं, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional requirement for the Scheme 'Rehabilitation of Bonded Labour' for Central Sector Scheme. An amount of ₹ 2.70 crore (₹ 1.96 crore for 'General', ₹ 0.49 crore for 'SCSP' and ₹ 0.25 crore for 'TSP') under Grants-in-aid General is available under MH 3601 for the Scheme of 'Rehabilitation of Bonded Labour' and the same amount will be re-appropriated under MH 2230.

As savings are available, a token supplementary is sought.

- (b) meeting additional requirement for 'Machinery for better conciliation, preventive mediation, effective enforcement of Labour Laws, construction of combined office complex for the office of CLC (C) and RLC (C), New Delhi and providing training to CLS Officers' under the object head 'Major Works' (₹ 1.00 crore). Savings is available under Revenue Section within the same Grant.

As savings are available, a technical supplementary is sought.

- (c) meeting additional requirement for the Scheme 'Directorate General of Mines Safty (Main)' in the object head 'Motor Vehicles' (₹ 0.10 crore). Savings of ₹ 0.10 crore is available under Revenue Section within the same Grant.

As savings are available, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3454.22	10.55	3464.77	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3454.24	10.55	3464.79	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम तैयार करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान "प्रयोजन शीर्ष" के अन्तर्गत ₹ 360 करोड़ की राशि "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन" के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केन्द्र के लिए नई स्कीम बनाने हेतु (जिसमें टीएसपी के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ और एससीएसपी के अन्तर्गत ₹ 50.00 करोड़ शामिल हैं) सामान्य सहायता अनुदान/अंशदान/सब्सिडी/ डीटीई/ओएड/ओई प्रयोजन शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 75.00 करोड़ "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केंद्र" के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एसएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम तैयार करने के लिए प्रयोजन शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के अन्तर्गत ₹ 0.01 करोड़ की राशि "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन" के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
(iii) इस स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों को निपटाने के लिए (जिसमें टीएसपी के अंतर्गत ₹ 0.0028 करोड़, एससीएसपी के अंतर्गत ₹ 0.0821 करोड़ शामिल हैं। ₹ 0.1905 करोड़ की राशि "राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना" के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (a) Meeting additional expenditure towards "Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim" amounting ₹ 360 crore under the object head "Grants-in-Aid General" for creating a new scheme for promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting additional expenditure towards "National Scheduled Caste/Scheduled Tribe Hub Centre" amounting ₹ 75.00 crore under the object head "Grants in Aid General/Contribution/Subsidy/DTE/OAE/OE"(including ₹ 50.00 crore under SCSP and ₹ 25.00 crore TSP) for creating a new scheme for the National SC/ST Hub.
(ii) Meeting additional expenditure towards "Promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim" amounting ₹ 0.01 crore under the object head "Grants-in-Aid General" Plan for creating a new scheme for promotion of MSMEs in NE Region and Sikkim.
(iii) Meeting additional expenditure towards "Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY)" amounting ₹ 0.1905 crore (including ₹ 0.0821 crore under SCSP and ₹ 0.0028 crore TSP) to clear the pending claims under the scheme.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3687.25	140.00	3827.25	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3687.26	140.00	3827.26	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्न की जरूरत पूरी करने के लिए (i)राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 3601 (रु. 17.80 करोड़) और मुख्य शीर्ष 3602 (रु. 0.15 करोड़) से निधियों का अंतरण और (ii)राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (रु. 9.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting requirement for (i) Transfer of Funds under the Central Schemes National Scholarship Portal from Major Head 3601 (₹ 17.80 Crore) and Major Head 3602 (₹ 0.15 Crore) and (ii)Grants-in-Aid General under the Scheme Strengthening of State Waqf Boards(₹ 9.20Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	9882.79	100.00	9982.79	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9882.80	100.00	9982.80	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ऑफ ग्रीड/संवितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.50 करोड़) और पूंजी सृजनार्थ अनुदान (₹ 38.50 करोड़) जारी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

releasing Grant-in-aid General (₹ 6.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 38.50 crore) under the scheme off-grid/distributed and Decentralized Renewable Power.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 64

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	8.47	2.50	10.97
	स्वीकृत:	Voted:	1321.90	117.13	1439.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1330.38	119.63	1450.01
	भारित:	Charged:	8.47	2.50	10.97
	स्वीकृत:	Voted:	1321.91	117.13	1439.04
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डीओपीटी सहायता अनुदान वेतनों (₹ 0.04 करोड़) हेतु वित्त वर्ष 2015-16 से लंबित व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting the pending expenditure from FY 2015-16 for DOPT's Grant-in-aid Salaries (₹ 0.04 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 66

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	29158.62	2.00	29160.62	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	...	1000.00	1000.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	29158.62	1002.00	30160.62	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	----------------	------------------------------	---------------

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4802 - Capital Outlay on Petroleum	Voted:	1000.00	...	1000.00
------------------------------------	----------	------------------------------------	--------	---------	-----	---------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विजाग, मँगलोर और पुदुर में सॉवरन महत्वपूर्ण कच्चा तेल भंडार के सृजन के भाग के रूप में कच्चा तेल भरने के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 1000 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

providing funds to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) for filling up crude oil as part of creation of Sovereign Strategic Crude Oil Reserve at Vizag, Mangalore & Pudur (₹ 1000 crore). This will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 68

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	10817.17	3721.82	14538.99	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10817.18	3721.82	14539.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मणिपुर और मिजोरम राज्य के लिए गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वेतन, भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए (₹ 1.94 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting salary, allowances and other administrative expenses of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) constituted for the State of Manipur and Mizoram (₹ 1.94 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 74

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted:	52859.00	54707.00	107566.00
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of the amount				
का पूरक अनुमान:	now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	31972.68	31972.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		52859.01	86689.68	139548.69
	भारित:	Charged:	...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted:	52859.01	86679.68	139538.69

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृत: 3055 - Road Transport	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5054 - सड़क और पुलों पर	स्वीकृत: 5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	31957.68 (खब)	...	31957.68
पूंजी परिव्यय	Bridges				
5055 - सड़क परिवहन पर	स्वीकृत: 5055 - Capital Outlay on Road	Voted:	15.00 (गक)	...	15.00
पूंजी परिव्यय	Transport				
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	31972.68	...	31972.68
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	31972.69	...	31972.69

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
5054 - सड़क और पुलों पर	5054 - Capital Outlay on Roads and	(-) 3473.34	...	(-) 3473.34	
पूंजी परिव्यय	Bridges				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) असंगठित क्षेत्र में चालकों के पुनःचर्चा प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास (₹ 5.00 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

(ख) (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹ 4168.00 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए।

(ii) केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 20984.34 करोड़) और स्थायी सेतु शुल्क निधि (₹ 7500.00 करोड़) में अंतर खाता अंतरण के संबंध में राजस्व

The supplementary grants are required for:

(a) release of Grants-in-aid General under Refresher Training of Drivers in Unorganized Sector and Human Resource Development (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) providing additional funds under "National Highway Original Works" (₹ 4168.00 crore).

(ii) reclassification of expenditure from Revenue Section to Capital Section in respect of Inter Account Transfer to

भाग से पूंजी भाग में व्यय का पुनःवर्गीकरण।

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों (₹31957.68 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत पड़ी बचत (₹694.66 करोड़) को उपयोग में लाने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) 'मशीनरी एवं उपस्कर' के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 15.00 करोड़) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Central Road Fund (₹ 20984.34 crore) and Permanent Bridge Fees Fund (₹ 7500.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant (₹ 31957.68 crore) and after utilising the savings within the same section of the Grant (₹ 694.66 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (c) meeting additional requirement of funds under 'Machinery & Equipment' (₹ 15.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 75

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	138539.80	...	138539.80	
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
स्वीकृत:	Voted:	10000.00	1.00	10001.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	148539.80	1.00	148540.80	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2505 - ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत: 2505 -Rural Employment	Voted:	5000.00 (का)	...	5000.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	5000.00 (खब)	...	5000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	10000.00	...	10000.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	1.00 (गक)	...	1.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	10001.00	...	10001.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) -5000.00	...	(-) -5000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में अतिरिक्त निधि का अंतरण (₹ 5000.00 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद देना होगा।

(ख) मनरेगा के तहत निधि प्रदान करना (₹ 5000.00 करोड़)।

क्योंकि यह खर्च राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा होगा, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।

(ग) ग्रामीण विकास बैंक के भवन के निर्यात हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 1.00 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) transfer of additional fund to National Employment Guarantee Fund (₹ 5000.00 Crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) providing fund under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) (₹ 5000.00 crore) As the expenditure would be met from National Employment Guarantee Fund, a Technical Supplementary is sought.

(c) providing additional funds for building of Grameen Vikas Bhawan (₹ 1.00 Crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 76

भू-संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	1709.36	...	1709.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	0.01	...	0.01
			1709.37	...	1709.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
--	--	--	----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2506 - भू सुधार	स्वीकृत:	2506 -Land Reforms	Voted:	0.01	...	0.01
-----------------	----------	--------------------	--------	------	-----	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डिजिटल भारत भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अन्तर्गत सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अधिकारों के रिकार्डों (आरओआर) के कम्प्यूटरीकरण, मानचित्रों के अंकीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां (₹ 112.10 करोड़) मुहैया कराना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

providing additional funds for computerization of Records of Rights (RoRs), digitization of maps, survey/resurvey using modern technology under Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)(₹ 112.10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 77

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	4481.83	14.47	4496.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4481.86	14.47	4496.33
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	4481.84	14.47	4496.31
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामाजिक आर्थिक विकास (एस एण्ड टी उद्यमशीलता विकास) हेतु एस एण्ड टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान' (₹ 20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards 'Grants for creation of Capital Assets' (₹ 20 crore) under S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 81

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1770.55	33.73	1804.28	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1770.57	33.73	1804.30	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सरकारी आई टी को मॉडल आई टी में उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य राजकोष के लिए (₹ 6.06 करोड़) की राशि जारी करने की आवश्यकता है।
इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) सरकारी आई टी को मॉडल आई टी में उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य राजकोष के लिए (₹ 1.45 करोड़) की राशि जारी करने की आवश्यकता है। इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants are required for:

- (a) An amount (₹ 6.06 crore) is required for release to State Treasury under the Centrally Sponsored Scheme of "Up-gradation of Government I.T.Is. to Model I.T.I. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.
- (b) An amount(₹ 1.45 crore) is required for release to State Treasury under the Centrally Sponsored Scheme of "Up-gradation of Government I.T.Is. to Model I.T.Is. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 82

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6226.95	339.00	6565.95	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6226.97	339.00	6565.97	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) डीबीटी के जरिए निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए : 1. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 2791.00 करोड़) 2. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डा. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (₹ 10.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) औषध दुरुपयोग और द्रव्य दुरुपयोग की हद, पैटर्न और प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण हेतु अतिरिक्त अनुदान जारी करना (₹ 3.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) For releasing additional Grant through Direct Benefit Transfer under: (i) Post Matric Scholarship for SCs.(₹ 2791 crore) (ii) Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes.(₹ 10 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For releasing additional Grant for National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug Abuse and Substance Abuse.(₹ 3 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	4155.38	3352.76	7508.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	300.00	300.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4155.98	3653.16	7809.14
	भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	4155.38	3652.76	7808.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5402 - Capital Outlay on Space Research	Voted: 300.00	...	300.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जीएसएलवी एमके-III के सीड 20 इंजन के लिए कॉर्बन-कॉर्बन नोजल एक्जिट कॉन (सी-सी एनइसी) को तैयार करने के लिए मशीनरी और उपस्कर हेतु विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के अतिरिक्त व्यय (₹ 3.80 करोड़) को पूरा करने और उन्नत संचार सेटलाइट (जीएसएटी-11) के शुभारंभ के लिए मैसर्स एरियन स्पेस, फ्रांस को (₹ 300 करोड़) का भुगतान किया जाएगा।

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 3.80 करोड़ की बचत के मद्देनजर इसके लिए ₹ 300 करोड़ के निवल नकद व्यय की आवश्यकता पड़ेगी।

The supplementary grant is required for:

payment to be made to M/s. Arianespace, France for launch of Advance Communication Satellite (GSAT-11) (₹ 300 crore) and meeting the additional expenditure (₹ 3.80 crore) of Vikram Sarabhai Space Centre towards Machinery and Equipment for development of Carbon-Carbon Nozzle Exit Cone (C-C NEC) for CE20 Engine of GSLV Mk-III.

Taking into account the savings of ₹ 3.80 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 300 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	4724.83	28.00	4752.83	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4724.84	28.00	4752.84	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'क्षमता विकास' स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक गणना (₹ 5 करोड़) और सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए (₹ 25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grant is required for:

providing additional Grants-in-aid General for Economic Census (₹ 5 crore) and Support for Statistical Strengthening (₹ 25 crore) under the Scheme 'Capacity Development'

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	4574.30	20.52	4594.82	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	550.01	98.10	648.11	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5124.31	118.62	5242.93	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	350.00 (खb)	200.00 (गc)	550.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	350.01	200.00	550.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	98.10 (घd)	...	98.10
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	448.11	200.00	648.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत उत्पाद अधिनियम, 1984 के वस्तु हथकरघा (अनुरक्षण) के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 0.60 करोड़)	(a)	(i)	meeting additional requirement (₹ 0.60 crore)towards implementation of handloom (Reservation) of Articles for Production Act 1984 under Grants-in-Aid General.
	(ii)	वेतन सहायता अनुदान के तहत उत्पाद अधिनियम, 1984 के वस्तु हथकरघा (अनुरक्षण) के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹5.40 करोड़)।		(ii)	meeting additional requirement (₹ 5.40 crore)towards implementation of handloom (Reservation) of Articles for Production Act 1984 under Grants-in-Aid Salaries.
	(iii)	अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्र) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹0.67 करोड़)।		(iii)	meeting additional requirement (₹ 0.67 crore)towards National Handloom Development Programme (Centre Sector) under Other Administrative Expenses.
	(iv)	व्यावसायिक सेवा के तहत सूत आपूर्ति स्कीम /मिल गेट मूल्य स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹0.30 करोड़)।		(iv)	meeting additional requirement (₹ 0.30 crore)towards Yarn Supply Scheme/Mill Gate Price Scheme under Professional Services.
	(v)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹24.90 करोड़)।		(v)	meeting additional requirement (₹ 24.90 crore)towards Comprehensive handloom Cluster Development Scheme under Grants-in-Aid General.
	(vi)	व्यावसायिक सेवा के तहत व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹0.10 करोड़)।		(vi)	meeting additional requirement (₹ 0.10 crore)towards Comprehensive handloom Cluster Development Scheme under Professional Services.
	(vii)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत सूत आपूर्ति स्कीम /मिल गेट मूल्य स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹3.50 करोड़)।		(vii)	meeting additional requirement (₹ 3.50 crore)towards National Handloom Development Programme under Grants-in-Aid General.

(viii)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत सूत आपूर्ति स्कीम /मिल गेट मूल्य स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹6.50 करोड़)।	(viii)	meeting additional requirement (₹ 6.50 crore)towards Yarn Supply Scheme/Mill Gate Price Scheme under Grants in Aid General.	
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ख)	(i)	अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत एकीकृत टेक्सटाईल पार्कों हेतु स्कीम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹1.50 करोड़)।	(b) (i)	meeting additional requirement (₹ 1.50 crore)towards Scheme for Integrated Textile Parks under Other Administrative Expenses.
	(ii)	संशोधित तकनीक उन्नयन निधि स्कीम (एटीयूएफ) हेतु सब्सिडी के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹350 करोड़)	(ii)	meeting additional requirement (₹ 350 cr.)for subsidies towards Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUF).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इससे (₹350 करोड़) नकद व्यय होगा।		taking into account the savings available in the same section of the Grants, this will entail net cash outgo of ₹ 350 crore.		
(ग)	भारतीय कपास निगम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹200 करोड़)।	(c)	meeting additional requirement (₹ 200 crore) for reimbursement of Cotton Corporation of India.	
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;		The above expenditure will entail a cash outgo;		
(घ)	(i)	मुख्य निर्माण कार्य के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्र क्षेत्र) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹5.00 करोड़)।	(d) (i)	meeting additional requirement (₹ 5.00 crore) towards National Handloom Development Programme (Centre Sector) under Major Works.
	(ii)	मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹93.10 करोड़)।	(ii)	meeting additional requirement (₹ 93.10 crore)towards Trade Facilitation Centre and Craft Museum under Major Works.
अनुदान के राजस्व भाग में ₹98.10 करोड़ की समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक प्रार्थित है।		An equivalent amount of ₹ 98.10 crore would be surrendered from Revenue Section of the Grant, therefore, a Technical Supplementary is sought.		

मांग संख्या DEMAND NO. 89

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	3988.36	...	3988.36
	स्वीकृत:	Voted:	768.14	70.00	838.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4756.53	70.00	4826.53
	भारित:	Charged:	3988.37	...	3988.37
	स्वीकृत:	Voted:	768.16	70.00	838.16

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2251 -Secretariat-Social Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	भारित:	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	Charged: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	0.01	0.02	0.03
	भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय शीर्ष के तहत व्यय (₹ 3.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय के तहत व्यय (₹ 0.50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ग) (i) जनजातीय उत्सव स्कीम, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा (₹ 0.70 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 2.49 करोड़) अनुदान और (iii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा स्कीम के तहत संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Meeting the additional requirement for expenditure under Head-Information Technology-Office Expenses (₹ 3.00 crores). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting the additional requirement for expenditure under Information Technology-Office Expenses (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) i) Grants in Aid General for the Scheme Tribal Festival, Research Information and Mass Education (₹ 0.70 crore); (ii) Grant for creation of capital assets under the scheme Tribal Festival, Research Information and mass Education (₹ 2.49 crore) and (iii) Grants-in-Aid to Union Territory Governments under the scheme Tribal Festival, Research Information and mass Education (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1387.50	277.80	1665.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.03	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1387.53	277.83	1665.36
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1387.51	277.83	1665.34
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism				
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 - Tourism	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4405 - Capital Outlay on Fisheries	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) दीव जिले में दीव उत्सव "दीव-2016" मनाने के लिए भुगतान करने हेतु विज्ञापन और प्रचार के तहत ₹ 18.00 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) दीव में शिक्षा हब के विकास और दीव में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के निर्माण के निष्पादन के लिए 10.00 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।
- (ग) दीव में सरकारी रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण, सरकारी रिहायशी क्वार्टरों की विशेष मरम्मत व पुनरुद्धार के लिए 1.50 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement of ₹ 18.00 crore under Advertising and Publicity to make payment for celebrating the Diu Festival "Diu-2016" for promotion of tourism in Diu District. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting the additional requirement of ₹ 10.00 crore to carry out Works for Development of Education Hub at Diu and Construction of Polytechnic College Building at Diu. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting the additional requirement of ₹ 1.50 crore for construction of Government Residential Quarters, Special Repairs & Renovation to Government Residential Quarters at Diu.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) दीव में फिशिंग प्लेटफार्म के निर्माण और 92.00 मीटर लंबे पाईल जेटी के निर्माण के निष्पादन के लिए 7.78 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।	(d) Meeting the additional requirement of ₹ 7.78 crore to carry out works for construction of Fishing Platform & construction of 92.00 meters long Pile Jetty at Diu.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 94

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1089.34	165.50	1254.84	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित:	Charged:	...	17.00	17.00	
स्वीकृत:	Voted:	...	0.02	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1089.34	182.52	1271.86	
भारित:	Charged:	...	17.00	17.00	
स्वीकृत:	Voted:	1089.34	165.52	1254.86	

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting				
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4220 - Capital Outlay on Information and Publicity	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Charged:	17.00 (खb)	...	17.00
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		17.02	...	17.02
भारित:	Charged:	17.00	...	17.00	
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

(क) सूचना और लोक सम्पर्क विभाग के लिए विभागीय भवन के चल रहे निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 0.20 करोड़) को पूरा करने के लिए।

(a) Meeting the additional expenditure towards the ongoing construction of Departmental building for Information and Public Relation Department (₹ 0.20 crore)

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) एन्ड्रोट द्वीप पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण हेतु भूमि मुआवजे के भुगतान हेतु कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 17.00 करोड़)।

(b) Meeting additional expenditure for implementation of Court Order for payment of land compensation for construction of Polytechnic College at Andrott Islands (₹ 17.00 Crore).

उपरोक्त व्यय के लिए नकद खर्च की आवश्यकता होगी।

The above expenditure will entail a cash outgo.

(ग) उद्योग विभाग के लिए विभागीय भवन के चल रहे निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.55 करोड़)।

(c) Meeting additional expenditure for the ongoing construction of Departmental building for Industries Department (₹ 0.55 crore).

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक अनुपूरक की मांग प्रार्थित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 95

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126-127 देखिये)

(See page 126-127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	83.77	97.00	180.77
	स्वीकृत:	Voted:	15502.67	11405.42	26908.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	314.04	2120.00	2434.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		15900.48	13622.42	29522.90
	भारित:	Charged:	83.77	97.00	180.77
	स्वीकृत:	Voted:	15816.71	13525.42	29342.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 -Public Works	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted:	314.00 (ख)	0.01 (ग)	314.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (घ)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (ङ)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	314.03	0.01	314.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	120.00 (च)	120.00
6217 - शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत: 6217 - Loans for Urban Development	Voted:	2000.00 (छ)	...	2000.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	2000.00	120.00	2120.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	2314.03	120.01	2434.04

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
6217 - शहरी विकास के लिए ऋण	6217 - Loans for Urban Development	(-) 314.00	...	(-) 314.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अन्य प्रशासनिक व्यय का खर्च पूरा करने के लिए (₹ 0.49 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure for Other Administrative Expenses (₹ 0.49 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) निम्न हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए (₹ 16 करोड़); (ii) स्वच्छ भारत मिशन हेतु आस्तियों के सृजनार्थ सहायता (₹ 4.32 करोड़); और (iii) भारत अवसंरचना शेष में अंतरण (₹ 314 करोड़) का खर्च पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है ₹. 314 करोड़।
- (ग) (i) डीयूएसी द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर को संपत्ति का के भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.47 करोड़) (ii) नगर निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (iii) नगर निगम के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.5 करोड़) (iv) एनआईयू को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़) (v) एनआईयू को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.40 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (घ) स्वच्छ भारत मिशन की पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान का खर्च पूरा करना (₹ 1562.56)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ङ) स्वच्छ भारत मिशन की पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान का खर्च पूरा करना (₹ 33.12 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (च) (i) उच्चतम न्यायालय के लिए अतिरिक्त कार्यालय कंप्लैक्स का निर्माण (₹ 100 करोड़) (ii) संसद सौंध के विस्तार के निर्माण संबंधी निर्माण कार्यों (₹ 20 करोड़) का खर्च पूरा करना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (छ) (i) फरीदाबाद गलियारे का काम पूरा करने के लिए डीएमआरसी-उप ऋण (₹ 184 करोड़); (ii) पीटीए का खर्च न किया गया शेष पूरा करने के लिए डीएमआरसी-पीटीए (₹ 1316 करोड़); (iii) जेआईसीए निधियन वाले पैकेजों के भुगतान हेतु चैन्नई मेट्रो-पीटीए (₹ 370 करोड़); (iv) एफटीपी-2015-16 के तहत डीमड एक्सपोर्ट बनेफिट के आहरण के कारण चैन्नई मेट्रो उपकरण (₹ 130 करोड़) का खर्च पूरा करना।
भारत अवसंरचना कोष से पूरे की जाने वाली ₹ 314 करोड़ की राशि को देखते हुए इससे ₹ 1686 करोड़ नकद देने होंगे।
- (b) meeting expenditure for (i) Grants in aid General for other Urban Development Schemes (₹ 16 crore); (ii) Grants for creation of capital assets for Swachh Bharat Mission (₹ 4.32 crore); and (iii) transfer to Bharat Infrastructure Kosh (₹ 314 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 314 crore.
- (c) meeting expenditure for (i) Grants in aid General for payment of Property Tax to India Habitat Centre by DUAC (₹ 0.47 crore) (ii) Grants in aid General for training Centre for Municipal Employees (₹ 0.50 crore) (iii) Grants in aid Salaries for training Centre for Municipal Employees (₹ 3.5 crore) (iv) Grants in aid General of NIUA (₹ 0.10 crore) (v) Grants in aid Salaries of NIUA (₹ 0.40 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting expenditure for Grants for Creation of Capital Assets of Swachh Bharat Mission (₹ 1562.56)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting expenditure for Grants for Creation of capital assets of Swachh Bharat Mission, (₹ 33.12 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) meeting expenditure for (i) construction of additional office complex for Supreme Court of India (₹ 100 crore) (ii) works relating to construction of extension of Parliament House Annexe (₹ 20 crore)
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (g) meeting expenditure for (i) DMRC- Sub -Debt to complete the work of Faridabad Corridor (₹ 184 crore); (ii) DMRC -PTA (₹ 1316 crore); (iii) Chennai Metro- PTA to make the payment of JICA funded packages (₹ 370 crore); (iv) Chennai Metro-Sub-Debt due to withdrawal of deemed export benefit under FTP 2015-16 (₹ 130 crore).
Taking into account the amount of ₹ 314 crore met from Bharat Infrastructure Kosh, this will entail a cash outgo of ₹ 1686 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिये)

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	...	4.00	4.00
	स्वीकृत:	Voted:	8357.60	402.71	8760.31
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
	भारित:	Charged:	1.80	...	1.80
	स्वीकृत:	Voted:	18.00	25.00	43.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8377.40	431.71	8809.11
	भारित:	Charged:	1.80	4.00	5.80
	स्वीकृत:	Voted:	8375.60	427.71	8803.31
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	भारित: 3075 - Other Transport Services	Charged:	1.80 (का)	...	1.80
	स्वीकृत:	Voted:	...	18.00 (खb)	18.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1.80	18.00	19.80
	भारित:	Charged:	1.80	...	1.80
	स्वीकृत:	Voted:	...	18.00	18.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजी	स्वीकृत: 4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	Voted:	25.00 (गc)	...	25.00
परिव्यय					
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		26.80	18.00	44.80
	भारित:	Charged:	1.80	...	1.80
	स्वीकृत:	Voted:	25.00	18.00	43.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मध्यस्थता पंचाट -अन्य प्रभार (₹ 1.80 करोड़)।
अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ख) फरक्का बैराज प्रोजेक्ट - व्यावसायिक सेवाएं के तहत (₹ 18.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ग) भूजल प्रबंधन और नियमन स्कीम के तहत मोटर वाहन/ट्रक, वैज्ञानिक/ड्रिलिंग उपकरण, कंप्रेसर, की अधिप्राप्ति, प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत एकवीफायर मैपिंग आदि हेतु जलीय डाटा बनाने संबंधी कार्यों का निष्पादन (₹ 25.00 करोड़)।
अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) payment of arbitration awards under Farakka Barrage Project - Other Charges (₹ 1.80 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(b) meeting additional requirement under Farakka Barrage Project - Professional Services (₹ 18.00 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital/ Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(c) procurement of Motor Vehicles/Trucks, scientific/drilling equipment, compressor, execution of works relating to hydrological data generation for aquifer mapping etc. under Major Works in the scheme 'Ground Water Management and Regulation' (₹ 25.00 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/ Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 97

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	17878.12	30.00	17908.12	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	200.03	...	200.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18078.15	30.00	18108.15	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted:	180.00 (का)	0.01 (खb)	180.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	20.00 (गc)	...	20.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	200.02	0.01	200.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) निम्न स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए:- (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 73.98 करोड़) (ii) कामकाजी और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹ 2.68 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹ 40 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाइन (₹ 3.25 करोड़) (v) वन स्टोप केंद्र (₹ 3 करोड़) (vi) अनुसंधान, प्रकाशन और मॉनीटरिंग (₹ 0.01 करोड़); निम्न स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान:- अन्य स्कीमों का निधियन निर्भया फंड से किया जा रहा है (₹ 180 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण और लोक खाते (निर्भया निधि) से पूरे किए जाने वाले ₹180 करोड़ को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (₹ 5.30 करोड़) और राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल-विकास संस्थान (₹ 0.93 करोड़) स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (ग) निम्न स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 39.70 करोड़) (ii) कामकाजी और देखरेख
- (a) for meeting additional requirement under the Scheme :- (i) Integrated Child Protection Scheme (₹ 73.98 Crore), (ii) Scheme for welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 2.68 Crore), (iii) Beti Bachao Beti padhao (₹ 40 Crore), (iv) Women Helpline (₹ 3.25 Crore), (v) One Stop Centre (₹ 3 Crore) and (vi) Research, Publication and Monitoring (₹ 0.01 Crore); Grants-in-aid General under the Scheme:- Other Schemes being funded from Nirbhaya Fund (₹ 180 Crore)
Taking into account the surrender of savings available in the same Section of the Grant and ₹ 180 crore met from Public Account (Nirbhaya Fund), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) for meeting additional requirement under the Scheme Central Social Welfare Board (CSWB) (₹ 5.30 Crore) and National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 0.93 Crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) for meeting additional requirement under the Scheme:- (i) Integrated Child Protection Scheme (₹ 39.70 Crore)

तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (0.30 करोड़ रु.) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹ 10.00 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाइन (₹ 2.50 करोड़) (v) वन स्टॉप केंद्र (₹ 7.50 करोड़) और (vi) एकीकृत पोषण शिक्षा (₹ 4 करोड़ रु.); स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान- निर्भया निधि से वित्त पोषित की जा रही अन्य स्कीमें (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण और निर्भया निधि से पूरे किए जाने वाले ₹20 करोड़ को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) निम्न स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) निम्नलिखित उप स्कीमों के लिए महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण मिशन:- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (₹ 32 करोड़) स्वधार गृह (₹ 32.74 करोड़) महिला और बाल ट्राफिकिंग का सामना करने के लिए व्यापक स्कीम (₹ 0.01 करोड़) और काम काजी महिलाओं के लिए होस्टल (₹ 0.02 करोड़); (ii) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 260.32 करोड़) (iii) कामकाजी और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹ 0.01 करोड़) (iv) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹ 44.50 करोड़) (v) महिला हेल्पलाइन (₹ 17.85 करोड़) और (vi) वन स्टॉप केंद्र (₹ 62 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ङ) (ड.) निम्न स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना:- (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (₹ 23 करोड़) (ii) कामकाजी और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम (₹ 0.01 करोड़) (iii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (₹ 5.50 करोड़) (iv) महिला हेल्पलाइन (₹ 1.40 करोड़) (v) वन स्टॉप केंद्र (₹ 2.50 करोड़) (vi) निम्नलिखित उप स्कीमों के लिए महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण मिशन:- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (₹ 1 करोड़) स्वधार गृह (₹ 0.24 करोड़) महिला और बाल ट्राफिकिंग का सामना करने के लिए व्यापक स्कीम (₹ 0.01 करोड़) और काम काजी महिलाओं के लिए होस्टल (₹ 0.02 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ii) Scheme for welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 0.30 Crore), (iii) Beti Bachao Beti padhao (₹ 10.00 Crore), (iv) Women Helpline (₹ 2.50 Crore), (v) One Stop Centre (₹ 7.50 Crore) and (vi) Integrated Education in Nutrition (₹ 4.00 Crore); Grants-in-aid General under the Scheme:- Other Schemes being funded from Nirbhaya Fund (₹ 20 Crore)

Taking into account the surrender of savings available in the same Section of the Grant and ₹ 20 Crore met from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (d) for meeting additional requirement under the Scheme (i) Mission for protection & Empowerment of Women for the following sub-schemes: National Mission for Empowerment of Women (₹ 32 Crore), Swadhar Greh (₹ 32.74 Crore), Comprehensive Scheme for combating trafficking of Women and Children (₹ 0.01 Crore) and Hostels for Working Women (₹ 0.02 Crore); (ii) Integrated Child Protection Scheme (ICPS) (₹ 260.32) (iii) Scheme for welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 0.01 Crore), (iv) Beti Bachao Beti padhao (₹ 44.50 Crore), (v) Women Helpline (₹ 17.85 Crore) and (vi) One Stop Centre (₹ 62 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) for meeting additional requirement under the scheme:- (i) Integrated Child Protection Scheme (₹ 23 Crore) (ii) Scheme for welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 0.01 Crore), (iii) Beti Bachao Beti Padhao (₹ 5.50 Crore), (iv) Women Helpline (₹ 1.40 Crore), (v) One Stop Centre (₹ 2.50 Crore) (vi) Mission for protection & Empowerment of Women for the following sub-schemes : National Mission for Empowerment of Women (₹ 1 Crore), Swadhar Greh (₹ 0.24 Crore), Comprehensive Scheme for combating trafficking of Women and Children (₹ 0.01 Crore) and Hostels for Working Women (₹ 0.02 Crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 98

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1542.00	50.00	1592.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	214.85	...	214.85	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1756.85	50.00	1806.85	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 -Sports and Youth Services	Voted:	214.85 (का)	...	214.85

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय खेल परिसंघ को निम्न कार्यक्रमों के लिए सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान: (i) 'मिशन 11 मिलियन' (₹ 30.00 करोड़), (ii) 'अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट', (₹ 95.00 करोड़), (iii) 'ब्रिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट' (₹ 20.00 करोड़) और (iv) '36वें राष्ट्रीय खेलों का गोवा में आयोजन' (₹ 69.85 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Assistance to National Sports Federations for the following programmes: (i) 'Mission 11 Million' (₹ 30.00 cr), (ii) 'Under 17 FIFA World Cup Football Tournament', (₹ 95.00cr), (iii) 'BRICS Football Tournament' (₹ 20.00 cr) and (iv) Conduct of '36th National Games' in Goa (₹ 69.85 cr).

The above expenditure will entail a net cash outgo.

ANNEXURE

અનુબંધ

वर्ष 2015-16 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक है।

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान 2015-16	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	मुख्य शीर्ष 3451 सचिवालय 3451.00.090.14.00.01 3451.00.090.14.00.11 3451.00.090.14.00.12 3451.00.090.14.00.13 मुख्य शीर्ष 3451 अन्य कार्यालय 3451.00.092.05.00.01 3451.00.092.05.00.14 3451.00.092.05.00.13 मुख्य शीर्ष 2810 सहायक कार्यक्रम 2810.00.105.08.00.21	7.00 (पी) 0.50 (पी) 0.01 (पी) 1.10 (पी) 0.49(पी) 0.02 (पी) 0.02 (पी) 0.10(पी)	2.84 0.70 0.60 1.15 0.15 0.10 0.08 0.50	मंत्रालय के कर्मचारियों को वेतनों के भुगतान हेतु। मंत्रालय के कर्मचारियों के यात्रा व्यय के भुगतान हेतु। द्विपक्षीय/बहुपक्षीय/आयोजनों/बैठकों आदि से संबंधित समझौता ज्ञापनों में प्रतिनिधियों के दोरों के लिए टेलीफोन बिलों/स्टेशनरी/वाहनों/पेट्रोल/मरम्मत/विद्युत बिलों/अतिथि सत्कार के बिलों के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को वेतनों के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के किराये और करों के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के टेलीफोन बिलों/स्टेशनरी/वाहनों/पेट्रोल/मरम्मत/विद्युत बिलों/अतिथि सत्कार के बिलों के भुगतान हेतु आपूर्तियों एवं सामग्रियों की देनदारियों और एएमसी प्रभारों आदि के भुगतान हेतु
2.	पोत परिवहन मंत्रालय	राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड 3052 पोत परिवहन (मुख्य शीर्ष) 80 सामान्य (उप मुख्य शीर्ष) 001 निर्देशन एवं प्रशासन (लघु शीर्ष) 02 राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड (उप शीर्ष) 00 ब्यौरा शीर्ष 02.00.13 कार्यालय व्यय (प्रयोजन शीर्ष) सागर माला 3051 पत्तन एवं प्रकाश स्तम्भ (मुख्य शीर्ष) 01 प्रमुख पत्तन (उप-मुख्य शीर्ष) 001 निर्देशन एवं प्रशासन (लघु शीर्ष) 01 सागर माला (उप शीर्ष) 00 विस्तृत शीर्ष 01.00.14 किराया, दरें एवं कर (प्रयोजन शीर्ष)	0.09 0.00	0.06 0.0531	गोवा में इसकी चौथी बैठक आयोजित करने पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए भुगतान किए जाने वाले बिलों की राशि आवंटन से अधिक है।

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2015-16.

(Rupees in Crore)

Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates 2015-16	Amount of Re-appropriation	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Ministry of New and Renewable Energy	MH 3451			
		Secretariat			
		3451.00.090.14.00.01	7.00 (P)	2.84	For payment of Salaries to the employees of the Ministry.
		3451.00.090.14.00.11	0.50 (P)	0.70	For payment of Travel Expenses of employees of the Ministry
		3451.00.090.14.00.12	0.01 (P)	0.60	For visits of delegations to Foreign Countries / bilateral / multilateral / MoUs related events / meetings etc.
		3451.00.090.14.00.13	1.10 (P)	1.15	For payment of telephone bills/ stationery / vehicles /petrol/ repairs/ Electricity Bills / Hospitality Bills.
		MH 3451			
		Other Offices			
		3451.00.092.05.00.01	0.49(P)	0.15	For payment of Salaries to the employees of the Regional Offices.
		3451.00.092.05.00.14	0.02 (P)	0.10	For payment of Rent and Taxes of Regional Offices.
		3451.00.092.05.00.13	0.02 (P)	0.08	For payment of telephone bills/ stationery / vehicles / petrol / repairs / Electricity Bills / Hospitality Bills of Regional Offices
		MH 2810			
		Supporting Programmes			
		2810.00.105.08.00.21	0.10(P)	0.50	For payment of liabilities on supplies and materials and for payment AMC charges etc.
2.	Ministry of Shipping	National Shipping Board	0.09	0.06	For meeting the expenses on holding its 4th quarter meeting at Goa.
		3052 Shipping (Major Head)			
		80 General (Sub Major Head)			
		001 Direction & Administration (Minor Head)			
		02 National Shipping Board (Sub Head)			
		00 (Detailed Head)			
		02.00.13 Office Expenses (Object Head)			
		Sagarmala			
		3051 Ports and Light Houses (Major Head)	0	0.0531	The amount of bills to be paid is more than allotment.
		01 Major Ports (Sub Major Head)			
		001 Direction & Administration (Minor Head)			
		01 Sagarmala (Sub Head)			
		00 (Detailed Head)			
		01.00.14 Rent, Rates & Taxes (Object Head)			

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
		भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण			
		3056 अन्तर्देशी जल यातायात (मुख्य शीर्ष)	205.72	11.00	राष्ट्रीय जल मार्ग 1 और 3 जिसमें अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल है, परियोजनाओं/स्कीमों पर किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए
		00(उप मुख्य शीर्ष)			
		00.190 सरकारी क्षेत्रों और अन्य उपक्रमों को सहायता (लघु शीर्ष)			
		01 भारतीय अन्तर्देशी जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान (उप-शीर्ष)			
		00 ब्यौरा शीर्ष			
		01.00.35 पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (प्रयोजन शीर्ष)			
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय/स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	261.55	55.00	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीम के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		165-प्राथमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष)			
		01-मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (उप-शीर्ष)			
		00-(ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
2		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	0.00	8.50	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		186-प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (लघु-शीर्ष)			
		01-सामान्य घटक (उप-शीर्ष)			
		01-यह सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
3		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	664.68	455.00	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष)			
		06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष)			
		00-(ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
4		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	213.02	130.00	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)			
		05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष)			
		00-(ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		Grants to Inland Waterways Authority of India			
		3056 Inland Water Transport (Major Head)	205.72	11.00	For meeting additional expenditure on projects/schemes of National Waterways 1 and 3 including other projects.
		00 (Sub Major Head)			
		00.190 Assistance to Public Sector and Other Undertakings (Minor Head)			
		01 Grants to Inland Waterways Authority of India (Sub Head)			
		00 (Detailed Head)			
		01.00.35 Grants for creation of capital assets (Object Head)			
		3. Ministry of Human Resource Development/Department of School Education & Literacy			
		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	261.55	55.00	Due to urgent requirement of recurring funds
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		165-Elementary Education- Other Grants (Minor head)			
		01 -Scheme for providing Education to Madrassas/Minorities (Sub head)			
		00-(Detailed Head)			
		31-Grants-in-aid General			
2		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	0.00	8.50	Due to urgent requirement of recurring funds
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		186-Elementary Education- Sarva Shiksha Abhiyan (Minor head)			
		01 -General Component (Sub head)			
		01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head)			
		31-Grants-in-aid General			
3		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	664.68	455.00	Due to urgent requirement of recurring funds
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		180-Secondary Education- Other Grants (Minor head)			
		06-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)			
		00-(Detailed Head)			
		31-Grants-in-aid General			
4		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	213.02	130.00	Due to urgent requirement of recurring funds
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)			
		789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head)			
		05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)			
		00-(Detailed Head)			
		31-Grants-in-aid General			

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
5	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	134.11	65.00	आवर्ती निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण	
6	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	904.91	3.72	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण	
7	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	413.26	1.81	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण	
8	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान	188.02	1.07	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण	
9	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	664.68	1.64	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण	

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
5	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	134.11	65.00	Due to urgent requirement of recurring funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	796-Tribal Area Sub-Plan (Minor head)				
	05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	31-Grants-in-aid General				
6	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	904.91	3.72	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	180-Secondary Education- Other Grants (Minor head)				
	06-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	35-Grants for creation of capital assets				
7	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	413.26	1.81	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head)				
	05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	35-Grants for creation of capital assets				
8	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	188.02	1.07	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	796-Tribal Area Sub-Plan (Minor head)				
	05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	35-Grants for creation of capital assets				
9	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	664.68	1.64	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	180-Secondary Education- Other Grants (Minor head)				
	06-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	31-Grants-in-aid General				

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
10		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्योरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	213.02	5.16	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
11		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 05-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्योरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	134.11	5.81	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
12		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 180-माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान (लघु-शीर्ष) 06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 00-(ब्योरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	664.68	5.41	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
13		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि 31-सामान्य सहायता अनुदान	705.48	43.59	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
14		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष) सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि 31-सामान्य सहायता अनुदान	219.61	14.57	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
10	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	213.02	5.16	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head)				
	05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	31-Grants-in-aid General				
11	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	134.11	5.81	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	796-Tribal Area Sub-Plan (Minor head)				
	05-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	31-Grants-in-aid General				
12	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head)	664.68	5.41	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)				
	180-Secondary Education- Other Grants (Minor head)				
	06-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Sub head)				
	00-(Detailed Head)				
	31-Grants-in-aid General				
13	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head)	705.48	43.59	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)				
	187-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head)				
	01 -Assistance to States (Sub Head)				
	01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support				
	31-Grants-in-aid General				
14	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head)	219.61	14.57	Due to urgent requirement of additional funds	
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)				
	789-Special Component Plan for Schedules Castes (Minor Head)				
	57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head)				
	01 -Assistance to States-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head)				
	31-Grants-in-aid General				

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
15	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष) 01-राज्यों को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान	159.95	1.85		अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
16	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 186-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 01-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस) 31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	1000.00		अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
17	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस) 31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	375.00		अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
18	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस) 31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	170.00		अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
19	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 156-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (लघु-शीर्ष) 03-सर्व शिक्षा अभियान (उप-शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (जीबीएस) 31-सामान्य सहायता अनुदान	119.00	20.00		अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
20	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)	34.00	35.00		अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
15	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head)		159.95	1.85	Due to urgent requirement of additional funds
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)				
	796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head)				
	57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head)				
	01 -Assistance to States-Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head)				
	31 -Grants-in-aid General				
16	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head)		0.00	1000.00	Due to urgent requirement of additional funds
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)				
	186-Elementary Education-Sarva Siksha Abhiyan (Minor Head)				
	01 -General Component (Sub Head)				
	01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS)				
	31 -Grants-in-aid General				
17	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head)		0.00	375.00	Due to urgent requirement of additional funds
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)				
	789-Special Component Plan for Schedules Castes (Minor Head)				
	04-Sarva Siksha Abhiyan (Sub Head)				
	01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS)				
	31 -Grants-in-aid General				
18	3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head)		0.00	170.00	Due to urgent requirement of additional funds
	02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)				
	796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head)				
	04-Sarva Siksha Abhiyan (Sub Head)				
	01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS)				
	31 -Grants-in-aid General				
19	2552-North Eastern Areas (Major Head)		119.00	20.00	Due to urgent requirement of additional funds
	156-Elementary Education (Other Expenditure) (Minor Head)				
	03-Sarva Siksha Abhiyan (Sub Head)				
	01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (GBS)				
	31 -Grants-in-aid General				
20	2552-North Eastern Areas (Major Head)		34.00	35.00	
	789-Special Component Plan for Scheduled Caste (Minor Head)				

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
		28-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (लघु-शीर्ष)			
		03-सर्व शिक्षा अभियान			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
21		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	705.48	17.74	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष)			
		01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष)			
		01- सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
22		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	219.61	17.79	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)			
		57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष)			
		01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष)			
		सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
23		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	159.95	24.21	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना (लघु-शीर्ष)			
		57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष)			
		01-राज्यों को सहायता			
		सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
24		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	4721.00	175.00	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष)			
		01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष)			
		02- राशि पीएसके से पूरी की जाएगी			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
25		3602-केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	70.60	0.70	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		28-Elementary Education (Other Expenditure)(Minor Head) 03-Sarva Siksha Abhiyan 31-Grants-in-aid General			Due to urgent requirement of additional funds
21		3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 187-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01 -Assistance to States (Sub Head) 01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31 -Grants-in-aid General	705.48	17.74	Due to urgent requirement of additional funds
22		3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Schedules Castes (Minor Head) 57-Elementary Education-National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head) 01 -Assistance to States (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31 -Grants-in-aid General	219.61	17.79	Due to urgent requirement of additional funds
23		3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head) 57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head) 01 -Assistance to States (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head) 31 -Grants-in-aid General	159.95	24.21	Due to urgent requirement of additional funds
24		3601-Grants-in-aid to State Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head) 187-Elementary Education National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head) 01 -Assistance to States (Sub Head) 02-Amount to be met from PSK 31-Grants- in- aid General	4721.00	175.00	Due to urgent requirement of additional funds
25		3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)	70.60	0.70	Due to urgent requirement of additional funds

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
		187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष)			
		01-केंद्र शासित प्रदेश को सहायता (उप शीर्ष)			
		01- सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
26		3602-केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान (उप शीर्ष)	19.80	0.20	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)			
		57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष)			
		01-केंद्र शासित प्रदेश को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
27		3602-केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	8.60	0.10	अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष)			
		57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम			
		01-केंद्र शासित प्रदेश को सहायता (उप शीर्ष)			
		सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
28		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	89.00	239.72	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		156-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (लघु-शीर्ष)			
		02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (उप-शीर्ष)			
		10-पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को सहायता (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
29		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	3.31	23.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		156-प्राथमिक शिक्षा (अन्य व्यय) (लघु-शीर्ष)			
		02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु-शीर्ष)			

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		187-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Minor Head)			
		01 -Assistance to Union Territory Governments (Sub Head)			
		01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			
26		3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head)	19.80	0.20	Due to urgent requirement of additional funds
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)			
		789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor Head)			
		57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head)			
		01 -Assistance to Union Territory Government (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			
27		3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head)	8.60	0.10	Due to urgent requirement of additional funds
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head)			
		796-Tribal Area Sub Plan (Minor Head)			
		57-Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub Head)			
		01 -Assistance to Union Territory Government (Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			
28		2552-North Eastern Areas (Major Head)	89.00	239.72	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		00-(Sub Major Head)			
		156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head)			
		02-National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Sub-Head)			
		10-Assistance to States in North Eastern Region (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			
29		2552-North Eastern Areas (Major Head)	3.31	23.00	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		00-(Sub Major Head)			
		156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head)			
		02-National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Sub-Head)			

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
		10-पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को सहायता (ब्यौरा शीर्ष)			
		35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान			
30		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	25.00	130.44	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)			
		28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष)			
		02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
31		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	1.40	7.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)			
		28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष)			
		02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (ब्यौरा शीर्ष)			
		35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान			
32		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	0.79	4.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष)			
		35-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष)			
		02-स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (ब्यौरा शीर्ष)			
		35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान			
33		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	705.48	1273.52	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		187-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष)			
		01-राज्यों को सहायता (उप शीर्ष)			
		01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
34		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	219.61	296.67	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		10-Assistance to States in North Eastern Region (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets			
30		2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head) 28-Elementary Education-Other Expenditure (Detailed Head) 02-National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	25.00	130.44	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
31		2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head) 28-Elementary Education-Other Expenditure (Detailed Head) 02-National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	1.40	7.00	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
32		2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 796-Tribal Area Plan (Minor-Head) 35-Elementary Education-Other Expenditure (Sub Head) 02-National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets	0.79	4.00	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
33		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 187-Elementary Education- National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Minor-Head) 01 -Assistance to States (Sub-Head) 01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31-Grants-in-aid General	705.48	1273.52	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
34		3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head)	219.61	296.67	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष)			
		57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष)			
		01-राज्यों को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
35		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	159.95	77.21	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)			
		796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (लघु शीर्ष)			
		57-प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (लघु शीर्ष)			
		01-राज्यों को सहायता सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
36		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	119.00	261.07	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		156-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (लघु शीर्ष)			
		03-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष)			
		01-सामान्य घटक (ब्यौरा शीर्ष)			
		31-सामान्य सहायता अनुदान			
37		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	21.00	49.97	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		156-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष)			
		03-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष)			
		01-सामान्य घटक (ब्यौरा शीर्ष)			
		35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान			
38		2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष)	6.00	54.55	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
		00-(उप मुख्य शीर्ष)			
		789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक आयोजना			
		28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष)			
		03-सर्व शिक्षा अभियान (ब्यौरा शीर्ष)			
		35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान			

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		789-Special Component Plan for Scheduled Castes (<i>Minor head</i>)			
		57-Elementary Education- National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Sub-Head)			
		01 -Assistance to States-(Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			
35		3601-Grants-in –aid to State Govt. (Major-Head)	159.95	77.21	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major-Head)			
		796-Tribal Area Plan (Minor-Head)			
		57-Elementary Education- National Programme of Mid-Day Meals in Schools (Sub-Head)			
		01 -Assistance to States-(Amount to be met from Gross Budgetary Support) (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			
36		2552-North Eastern Areas (Major Head)	119.00	261.07	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		00-(Sub Major Head)			
		156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head)			
		03- Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head)			
		01 - General Component (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			
37		2552-North Eastern Areas (Major Head)	21.00	49.97	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		00-(Sub Major Head)			
		156-Elementary Education-Other Expenditure (Minor Head)			
		03-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head)			
		01 -General Component (Detailed Head)			
		35-Grants for creation of capital assets			
38		2552-North Eastern Areas (Major Head)	6.00	54.55	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		00-(Sub Major Head)			
		789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head)			
		28-Elementary Education-Other Expenditure (Detailed Head)			
		03-Sarva Shiksha Abhiyan (Detailed Head)			
		35-Grants for creation of capital assets			

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
39	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य शीर्ष) 00-(उप मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 28-प्राथमिक शिक्षा - अन्य व्यय (ब्यौरा शीर्ष) 03-सर्व शिक्षा अभियान (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान		34.00	278.88	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
40	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 186-प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (लघु शीर्ष) 01-सामान्य घटक (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान		0.00	1149.18	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
41	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 186-प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (लघु शीर्ष) 01-सामान्य घटक (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान		0.00	2430.29	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
42	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान		0.00	424.84	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण
43	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष) 02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष) 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (लघु-शीर्ष) 04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष) 01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष) 31-सामान्य सहायता अनुदान		0.00	880.51	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
39	2552-North Eastern Areas (Major Head) 00-(Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor-Head) 28-Elementary Education-Other Expenditure (Sub Head) 03-Sarva Shiksha Abhiyan (Detailed Head) 31 -Grants-in-aid General		34.00	278.88	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
40	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 186-Elementary Education- Sarva Shiksha Abhiyan (Minor-Head) 01 -General Component (Sub Head) 01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets		0.00	1149.18	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
41	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 186-Elementary Education- Sarva Shiksha Abhiyan (Minor-Head) 01 -General Component (Sub Head) 01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31 -Grants-in-aid General		0.00	2430.29	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
42	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head) 04- Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 35-Grants for creation of capital assets		0.00	424.84	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
43	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major head) 02-Grants for State Plan Schemes (Sub-Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Castes (Minor head) 04-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head) 01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head) 31 -Grants-in-aid General		0.00	880.51	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance

(करोड़ रुपए)					
1	2	3	4	5	6
44	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	0.00	198.70	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण	
	02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)				
	796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना				
	04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष)				
	01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)				
	35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ अनुदान				
45	3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)	0.00	482.89	वित्त मंत्रालय द्वारा संअ चरण पर पीएसके आंकड़ों में संशोधन के कारण	
	02-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान (उप-मुख्य शीर्ष)				
	796-जनजातीय त्रेत्र उप-योजना				
	04-सर्व शिक्षा अभियान (उप शीर्ष)				
	01-सकल बजटीय सहायता से पूरी की जाने वाली राशि (ब्यौरा शीर्ष)				
	31-सामान्य सहायता अनुदान				

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
44		3601-Grants-in –aid to State Govt. (Major-Head)	0.00	198.70	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major-Head)			
		796-Tribal Area Plan (Minor-Head)			
		04-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head)			
		01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head)			
		35-Grants for creation of capital assets			
45		3601-Grants-in –aid to State Govt. (Major-Head)	0.00	482.89	Due to revision of PSK figures at the RE Stage by Ministry of Finance
		02-Grants for State Plan Schemes (Sub Major-Head)			
		796-Tribal Area Plan (Minor-Head)			
		04-Sarva Shiksha Abhiyan (Sub-Head)			
		01 -Amount to be met from Gross Budgetary Support (Detailed Head)			
		31 -Grants-in-aid General			